Ok"k % 42(vad % 04 (vi:y % 2020(eY; % nl #Ik,

(ई–संस्करण)

सीटू मजदूर

दिल्ली में साम्प्रदायिक दंगा

(रिपोर्ट पृष्ठ 8)

पीड़ितों

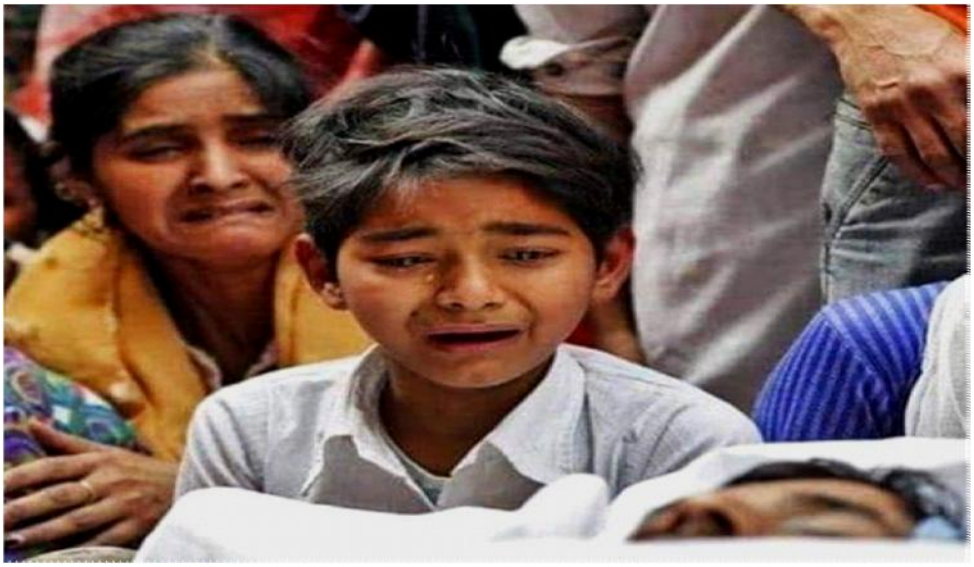

और

विरोध

दिल्ली में

पंजाब में

सीटू केन्द्र की पत्रिकाओं के लिए खबरें, रिपोर्टें, फोटो आदि कृपया इस मेल पर भेजें– *citujournals@gmail.com*

दिल्ली दंगा पीड़ितों को एकजुटता और राहत

(रिपोर्ट पृ. 9)

अस्पताल में दंगा पीड़ित से मिलते हुए बृंदा करात, अनुराग सक्सेना, अन्य

दंगा में मारे गए लोगों के परिजनों को चेक सौंपते तपन सेन

सम्पादकीय

तोड़ो कोविद 19 का चक्र
कायम करो मजदूर वर्ग की एकता का बंधन

कोविद–19 की महामारी आपदा के कारण अचानक हुए देशव्यापी लॉकडाउन के चलते सीटू का केंद्रीय कार्यालय, प्रिंटिंग प्रेस, डाकखाने और परिवहन सेवायें भी लॉकडाउन हो गयी हैं। इसकी वजह से हम अप्रैल 2020 के सीटू मजदूर सहित सीटू का कोई भी केंद्रीय मुखपत्र न छाप पा रहे हैं न भेज पा रहे हैं। हमें नहीं पता कि कब सीटू के केंद्रीय कार्यालय का आम कामकाज बहाल होगा, कब हम अपने मुखपत्रों का प्रकाशन शुरू कर पाएंगे।

exj geu egl l fd;k fd ;g t:jh Hkh g vkj vko';d Hkh fd lokn vkj lpukvk dh lk>nkjh] tkjh jgA bl etnj ox vkj egurd'k rcdk d chp ftruh nj rd y tk;k tk ldrk g & y tk;k tk,A mUg bl dkfon&19 dh vkink vkj ljdkj d fd;s /kj d ckj e crk;k tk,A lhV d e[ki= lpukvk vkj mud çlkj dk ,d egRoi.k lkr gA

y,dMkmu d fy, dæ ljdkj u 2015 d jk"Vh; vkink çc/ku dkuu dk bLrseky fd;k g vkj bld tfj; ç/kkue=h dh v/;{krk oky jk"Vh; vkink çc/ku vfHkdj.k u fdlh Hkh 0;fä@lLFkk dk nf.Mr dju] jkT; ljdkjk dk bldk gj gdm ekuu vkj ehfM;k dh tcku cn dju d fy, lljf'ki lfgr] <j lkj bejtlh vf/kdkj viu gkFk e y fy, gA y,dMkmu [kRe gku d ckn Hkh bld dkQh yEc le; rd njxkeh vlj gku oky gA y,dMkmu dh otg l nfl;k yk[k vkçoklh etnjk vkj gkf'k; ij thou xtkju oky egurd'kk ij g, fojkV vlj dk lcu n[kk gA Hkfo"; e D;k gku okyk g fdlh dk ugh irkA exj ,d ckr iDdh g fd dkjkuk dk gjku vkj y,dMkmu dk mBku d ckn ;FkkfLFkfr cuh jgu okyh ughA y,dMkmu d ckn d gkykr etnj ox vkj egurd'k voke ij Hkkjh vkfFkd ck> yknu oky gkxA dkjkuk d ckn dh fLFkfr e ge bld edkcy d fy, [kn dk r;kj djuk gkxkA

lhV lVj ij geu etnj ox vkj egurd'k turk d lkFk jkCrk cuk; j[ku] lokn tkjh j[ku d lkj jkLr [kkydj j[kA lhV etnj dk ihMh,Q Qkby d :i e lk'ky ehfM;k ij fn;k tkuk bue l ,d gA ;g lhV etnj vçy 2020 dk FkkMk njh l çdkf'kr gk jgk vd gA bl ihMh,Q :i e Hktk tk jgk gA —i;k bl viu ey] 0gkV lli vkfn d ek/;e l vf/kd l vf/kd ykxk rd igpkb;A bl ckj dkb Nik gvk lhV etnj vkid ikl ugh vk ik;xkA

सीटू मजदूर

सीआईटीयू का मुखपत्र

अप्रैल 2020

सम्पादक मण्डल

सम्पादक

~~के. हेमलता~~

कार्यकारी सम्पादक

~~जे. एस. मजुमदार~~

सदस्य

~~तपन सेन~~,

एम. एल. मलकोटिया,

कश्मीर सिंह ठाकुर,

पुष्पेन्द्र त्यागी,

एच.एस. राजपूत

अंदर के पृष्ठों पर

etnj ox dk jktuhfr e D;k djuk g &d- geyrk 5

fnYyh e lkEÁnkf;d nxk 8

vrjk"Vh; efgyk fnol efgykvk dk n'k0;kih ^ty Hkjk* 10

vrjk"Vh; efgyk fnol MCY;-,Q-Vh-;- dk ?kk"k.kki= 13

Hkkjr e efgykvk dk dke & t;fr ?kk"k 14

bih,Qvk&lhchVh dh cBd 16

m|kx ,o {k= 19

Je LFkk;h lfefr dh cBd 21

jkT;k l 23

miHkkDrk eY; lpdk d 26

सीटू की स्वर्ण जयंती का समापन कार्यक्रम और अन्य बैठकें

- सीटू के स्वर्ण जयंती समारोह का समापन कार्यक्रम 30 मई 2020 को कोलकाता में होगा। सीटू जनरल काउंसिल (जीसी) के सभी सदस्यगण भाग लेंगे।
- ए.आई.सी.सी.डब्ल्यू.डब्ल्यू.(सीटू) की जनरल काउंसिल टीयर की मीटिंग को 30 मई 2020 को सुबह 10 बजे से कोलकाता में आयोजित किया जाएगा।
- सीटू की जनरल काउंसिल की बैठक 31 मई – 2 जून 2020 को कोलकाता में आयोजित की जाएगी।

नोटिस

27 फरवरी, 2020

सीटू जनरल काउंसिल मीटिंग

- दिनांक एवं समयः 31 मई; प्रातः 10 बजे – 2 जून 2020; 2.30 बजे
- कोलकाता (सटीक स्थल की सूचना बाद में दी जाएगी)
- एजेण्डा :

  (1) अध्यक्षीय भाषण; (2) महासचिव की रिपोर्ट; (3) सीटू की 16वीं कान्फ्रेन्स और कान्फ्रेन्स में लिए गये काम की समीक्षा; (4) संयुक्त एवं स्वतंत्र दोनों ही तरह के भावी आन्दोलनों और कार्रवाहियों के बारे में; (5) अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य विषय।

- डेलीगेशन फीस : प्रत्येक से रु० 1200/–
- संम्पर्क :

  महासचिव, पश्चिम बंगाल सीटू की राज्य कमेटी;

  श्रमिक भवन, 53 आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड, कोलकाता 700016;
  फोनः 033–22265377, 22262227, फैक्सः 033–22266670,
  ईमेल> cituwb@gmail.com

- मोबाईलः

  अनादि साहू, महासचिव, –9831118929, 9830317056

  सुभाष मुखर्जी, अध्यक्ष, – 9230295378

तपन सेन
महासचिव

सीटू के 50 साल

मजदूर वर्ग को राजनीति में क्या करना है

के. हेमलता

8 जनवरी 2020 को देशव्यापी आम हड़ताल में कामकाजी जनता की पहले से कहीं अधिक भागीदारी देखी गई। न केवल कस्बों और शहरों में मजदूरों ने, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों, किसान, खेत मजदूर, कारीगर और अन्य, जिनमें मछुआरे शामिल हैं, ने सक्रिय रूप से अभियान चलाया और हड़ताल में भाग लिया। ऐसा पहले किसी हड़ताल में नहीं हुआ।

ऐसा इसलिए था क्योंकि 30 सितंबर 2019 को आयोजित मजदूरों के राष्ट्रीय खुले सामूहिक सम्मेलन में एक 'घोषणा' को पारित किया गया था, जिसमें जनता के अन्य तबकों की चिंता के भी कई मुद्दे उठाये गये। उनमें से एक, मोदीनीत भाजपा सरकार का कामकाज तुलनात्मक 'पहले से कहीं अधिक अलोकतांत्रिक' था। घोषणा में विशेष रूप से सूचना का अधिकार अधिनियम, गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए संशोधनों और पूरे देश के लिए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) की तैयारी की कोशिशों का उल्लेख किया गया। राष्ट्रीय सम्मेलन ने घोषणा की कि 'जनता की एकता की खातिर, चल रही इस विनाशकारी प्रक्रिया से जुझना चाहिए'। यह आम हड़ताल जनता की एकता की रक्षा के लिए इन विनाशकारी कदमों से निपटने के लिए ट्रेड यूनियन प्रतिक्रिया थी।

आम हड़ताल के समय तक भाजपा सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) पारित कर दिया और पूरे देश के लिए एनआरसी की तैयारी में थी। देश में विरोध भड़क गया और सीटू एवं कुछ अन्य ट्रेड यूनियनों ने घोषणा के अनुरूप, सीएए को निरस्त करने की माँग करते हुए अभियान चलाया। इसकी मजदूरों के बड़े तबकों और आम जनता द्वारा व्यापक रूप से सराहना की गयी। देश के कई हिस्सों में, सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों ने आम हड़ताल का समर्थन किया और मजदूरों के साथ प्रदर्शनों, सड़क व रेल रोकों में शामिल हो गए।

हालांकि, आम हड़ताल की समीक्षा से पता चला है कि कुछ मजदूरों, विशेष रूप से संगठित क्षेत्र में, हमारे नेतृत्व वाली यूनियनों के सदस्यों ने अभियान में सीएए के मुद्दे को उठाने का विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि यह एक राजनीतिक माँग है; इसका मजदूरों से कोई लेना–देना नहीं है। कुछ ट्रेड यूनियनों ने भी ऐसी राजनीतिक माँगों के साथ खुद को जोड़ने से दुराव जाहिर किया है।

यह पहली बार नहीं है कि मजदूरों के कुछ तबकों या यहां तक कि कुछ ट्रेड यूनियनों ने ट्रेड यूनियन मंचों से 'राजनीतिक' मांगों को लेकर आपत्तियां उठाई हैं। संयुक्त ट्रेड यूनियन आंदोलन के शुरुआती चरणों में, कुछ ट्रेड यूनियनों ने ऐसे ही बहानों से निजीकरण के मुद्दे को उठाने का विरोध किया, यह भी एक राजनीतिक माँग थी।

यहाँ दो मुद्दे हैं। एक, सीएए एवं संबंधित राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) और एनआरसी जिसे बताया गया कि यह मजदूरों से संबंधित नहीं हैं? दूसरा, है क्या 'राजनीतिक' मुद्दों से मजदूरों और उनकी ट्रेड यूनियनों को कोई सरोकार नहीं होना चाहिए?

भाजपा सरकार ने सीएए/एनआरसी को अपने विभाजनकारी एजेंडे को पूरा करने और सांप्रदायिक आधार पर समाज का ध्रुवीकरण करने का लक्ष्य दिया। अब यह स्पष्ट है कि सीएए/एनपीआर/एनआरसी का मुद्दा कुछ ऐसा नहीं है जो केवल मुस्लिम अल्पसंख्यकों को ही चिंतित करता है। यह भारतीय संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। वे मुख्य रूप से गरीब मजदूरों, असंगठित मजदूरों, विशेष रूप से प्रवासी मजदूरों, महिलाओं आदि सहित गरीबों को प्रभावित करते हैं। असम में, एनआरसी में बाहर किए गए अधिकांश

लोग हिंदू थे; जिन लोगों को बाहर रखा गया है उनमें से लगभग 70% महिलाओं के होने की सूचना है। इसलिए, सीएए/एनपीआर/एनआरसी प्रक्रिया मजदूरों के लिए बहुत अधिक चिंता का विषय है।

निश्चित रूप से, सीएए/एनपीआर/एनआरसी एक राजनीतिक मुद्दा है। लेकिन क्या मजदूरों का कोई भी संगठन इसके खिलाफ लड़ने से खुद को अलग रख सकता है जबकि मजदूरों के बड़े तबकों को उस देश के नागरिकों के रूप में अपनी पहचान खोने की धमकी दी जाती है जिसमें वे पैदा हुए, पले–बढ़े और अपना सारा जीवन बिताया? जब मजदूरों के तबकों के साथ सिर्फ उनके धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है और नागरिकता खोने की धमकी दी जाती है? जबकि उन्हें उन दस्तावेजों को दिखाना होगा जो उनके पास कभी थे ही नहीं, तो वे यह साबित नहीं कर सकते थे कि वे अपने माता–पिता की औलाद हैं? यदि आपके पास यह साबित करने के लिए दस्तावेज नहीं हैं, आपके पास पंद्रह अन्य दस्तावेज हो सकते हैं, लेकिन वे सभी बेकार हैं। क्या यह मजदूर वर्ग और उनकी यूनियनों की जिम्मेदारी नहीं है कि वे उनके साथ खड़े हों और इन मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष करें?

एक वर्गोन्मुख ट्रेड यूनियन के रूप में, सीटू न केवल उनके कार्यस्थल पर अधिकारों के लिए बल्कि उनके लोकतांत्रिक और मानव अधिकारों के लिए भी लड़ने के लिए पूरे मजदूर वर्ग को एकजुट करने के लिए प्रतिबद्ध है। सीटू का संविधान यह बताता है कि यह जाति, लिंग और धर्म आदि के आधार पर भेदभाव के खिलाफ और मजदूरों और जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों के संरक्षण के लिए लड़ता है। यह भी मानता है कि मजदूरों के कार्यस्थल के अधिकार, उनके मूल लोकतांत्रिक अधिकारों से अलग नहीं हैं। सरकार की नीतियों से कार्यस्थल के अधिकार और लोकतांत्रिक अधिकार प्रभावित होते हैं। सरकार की नीतियां उस पार्टी की राजनीति से तय होती हैं जो सत्ता में है। इन नीतियों के लिए अन्य राजनीतिक दलों का समर्थन या विरोध कामकाजी जनता के मुद्दों के प्रति उनके रवैये को दर्षाता है।

यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था जब राज्यसभा के सदस्य एलामाराम करीम और जो सीटू के राष्ट्रीय सचिव भी हैं, द्वारा प्रस्तावित वेतन विधेयक पर कोड में संशोधन को केवल 8 वोट ही मिल सके। करीम ने कुछ संशोधनों का प्रस्ताव रखा, जो पूरे ट्रेड यूनियन आंदोलन की माँगों को दर्शाता है। लेकिन, वाम दलों के अलावा, जिसमें राज्यसभा में 6 सदस्य थे, केवल 2 अन्य, एलपीएफ के महासचिव, जो संयुक्त ट्रेड यूनियन मंच के घटकों में से एक है, और जिन्होंने डीएमके का प्रतिनिधित्व किया तथा सपा के एक अन्य ने संशोधन का समर्थन किया। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि संसद में मजदूरों के ज्वलंत मुद्दों को उठाए जाने पर वाम दलों के अलावा कोई अन्य दल कोई दिलचस्पी नहीं लेता है। यह आश्चर्य की बात नहीं है जबकि वास्तविकता यह है कि संसद के अधिकांश सदस्य करोड़पति हैं और उनमें से कई के अपने व्यावसायिक हित हैं और स्वयं ही किसी बड़े व्यवसाय से जुड़े हुए हैं।

यदि मजदूर वर्ग, राजनीति और उसकी नीतियों के बीच के इस संबंध को नहीं समझता है, तो वह सांसदों और मंत्रियों को प्रस्तुतियाँ देने, उन्हें ज्ञापन देने और उनको प्रतिवेदनों को प्रेषित करने, या कुछ टोकन विरोध कार्यक्रमों को आयोजित करने तक ही खुद को सीमित करने के लिए बाध्य है। केंद्र में या अधिकांश राज्यों में सत्ताध्धरी पार्टियों के वर्ग चरित्र को समझने में विफलता, यह याद रखने में विफलता है कि ये दल बड़े कॉरपोरेट्स और व्यवसाय के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, महत्वपूर्ण कारणों में से एक है ट्रेड यूनियनों की रस्मी और परम्परावादी कार्रवाहियां। जब नियमित संघर्ष परिणाम नहीं देते हैं, तो नेतृत्व निराश हो जाता है; या तो मजदूर भी निराश हो जाते हैं या ट्रेड यूनियनों को दोषी ठहराते हैं। एक प्रवृत्ति चरम सीमा पर चढ़ने के लिए विकसित होती है – या तो किसी भी कार्रवाई के लिए अनिच्छा या अनिश्चितकालीन आम हड़तालों जैसी कार्रवाहियों के बारे में बात करने लगते हैं। जब तक मजदूरों की बड़ी संख्या किसी भी केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठन के दायरे से बाहर है, जब तक मजदूर वर्ग पूरी तरह से एक वर्ग के रूप में एकजुट नहीं होता है, जब तक मजदूर राजनीतिक रूप से सचेत और संगठित रूप से तैयार नहीं होते हैं, तो क्या अनिश्चितकालीन देशव्यापी आम हड़ताल पर जाना संभव है? जाहिर है कि अनिश्चितकालीन आम हड़ताल की वकालत करते हैं, लेकिन मजदूरों को राजनीतिक समझदारी से दूर रखना चाहते हैं, या तो वे बहुत भोले हैं या जानबूझकर मजदूरों को गुमराह कर रहे हैं।

कुछ ट्रेड यूनियनों और मजदूरों के बीच देखी गई इस तरह की निराशा को तभी दूर किया जा सकता है जब बहुसंख्यक मजदूरों अपनी समस्याओं के वास्तविक कारण को समझें; जो पार्टियों द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियां ही हैं ये जनता के वोटों से सत्तासीन होती हैं लेकिन नीतियां ऐसी बनाती हैं जो मजदूरों और आम जनता के शोषण का कारण होती हैं।

यह केवल इस तरह की समझ के माध्यम से है कि ट्रेड यूनियन और मजदूर ही अपनी आजीविका और कामकाजी परिस्थितियों पर हमलों का मुकाबला करने के लिए प्रभावी रणनीति तैयार करने में सक्षम होंगे। गहरी जड़ वाली बीमारी के लक्षणों को संबोधित करना ही काफी नहीं है। यह रोगी को स्थायी राहत नहीं दे सकता है। इस बीमारी को अपनी जड़ों से निदान और मिटाने की जरूरत है।

लेकिन, कुछ क्षेत्रों में कुछ प्रमुख यूनियनों, जो आज निजीकरण के लिए लक्षित किए जा रहे हैं, उनके मजदूरों पर बढ़ती ठेकेदारी, आउटसोर्सिंग, ट्रेड यूनियन अधिकारों की अवहेलना आदि के संदर्भ में हमला किया जा रहा है, लेकिन अपने सदस्यों के बीच इस तरह की समझ विकसित करने के लिए खिलाफ हैं। गैर राजनीतिक होने के बहाने, वे अपने सदस्यों के बीच इस तरह की जागरूकता विकसित करने की पहल नहीं करते हैं। ना ही वे क्षेत्र के समस्त मजदूरों को एकजुट करने की पहल करते हैं, उन्हें एकजुट संघर्षों में लामबन्द करके एकजुट ताकत में विष्वास पैदा करते हैं। वे यह भ्रम पैदा और विकसित करते हैं कि यह जो नेता हैं जो हर चीज से निपट सकते हैं; सब कुछ नेताओं पर छोड़ दो; और इस तरह मजदूरों को अंधेरे में रखते हैं।

ऐसी प्रवृत्तियों के विपरीत, सीटू, जो पचास साल पहले 'एकता और संघर्ष' के नारे के साथ पैदा हुआ था, ने मजदूरों को उनके शोषण और नवउदारवादी शासन के तहत उनकी रोजमर्रा की समस्याओं और उनकी बिगड़ती परिस्थितियों के मूल कारणों को समझने की आवश्यकता पर जोर दिया है। यह दृढ़ता से विश्वास करता है कि केवल जब मजदूरों और मेहनतकश जनता के अन्य तबके, जो देश के धन का उत्पादन करते हैं, इस महसूस करते हैं और एकजुट होकर लड़ते हैं, तो वे शोषण को समाप्त कर सकते हैं।

सीटू के स्थापना सम्मेलन में अपने समापन भाषण में, इसके संस्थापक अध्यक्ष बीटी रणदिवे कहा, ''हम एक नई लाइन के साथ एक नया संगठन शुरू कर रहे हैं। हम ट्रेड यूनियन आंदोलन को एक नयी दिशा देना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए ट्रेड यूनियन आंदोलन के सभी नेताओं को पुरानी चेतना और पुरानी प्रथा को छोड़ने के लिए दृढ़ होना चाहिए; तब अकेले हम इसे साकार कर पाऐंगे, अन्य सभी लोगों की सुधारवादी लाइन के खिलाफ एक सही संघर्ष होगा। और हमारा संघर्ष क्या है? हम पहले ही कह चुके हैं कि हमारा संघर्ष मजदूर वर्ग की एकता, ट्रेड यूनियन आंदोलन की एकता के लिए संघर्ष है। यह एकता सभी मजदूरों तक पहुँचनी चाहिए।''

ये शब्द आज भी हमारे काम के लिए उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि वे पांच दशक पहले थे। आज जब हम सीटू के गठन के स्वर्ण जयंती वर्ष का जश्न मना रहे हैं, तो हमें 'पहुंच से बाहर तक पहुंचना है' और 'नीतियों के साथ मुद्दों को जोड़ने और इस राजनीति को निर्देशित करने वाली राजनीति को बेनकाब करने का महत्व रखना चाहिए' ताकि मजदूर वर्ग के बीच इस तरह की जागरूकता पैदा हो सके।

सीटू ने पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क वृद्धि की निंदा की

14 मार्च 2020 को एक बयान में, सीटू ने 'विशेष उत्पाद शुल्क' लगाने के लिए मोदी सरकार की निंदा की, उसी दिन जारी एक अधिसूचना द्वारा, पेट्रोल पर रु० 2 – रु० 8 और डीजल पर रु० 4 प्रति लीटर की बढ़ोत्तरी कर दी। इस प्रकार, उत्पाद शुल्क पेट्रोल पर रु० 22.98 और डीजल पर रु० 18.83 प्रति लीटर हो गया है। इसके साथ ही, पेट्रोल और डीजल पर सड़क उपकर भी एक रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिया गया है, जो 10 रुपये प्रति लीटर हो गया है। 2014 में जब मोदी सरकार ने सत्ता संभाली थी तब पेट्रोल पर टैक्स रु० 9.48 रुपये और डीजल पर रु० .3.56 प्रति लीटर था।

जब अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतें अभूतपूर्व रूप से कम हो रही हैं, तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होनी चाहिए थीं। इसके बजाय, गंभीर आर्थिक संकट और कोरोना–वायरस के प्रभाव के कारण जनता की पीड़ा को अनदेखा की और मोदी सरकार ने अपनी कॉरपोरेट समर्थन के चलते हुए राजकोषीय घाटे से रु० 4,3,000 करोड़ की कटौती की है।

सीटू ने उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी को वापस लेने की माँग की है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की गिरती कीमतों के कारण सभी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में कमी करके जनता को सभी लाभ दिए जाऐं। सीटू ने अपनी इकाइयों और यूनियनों से मोदी शासन के इस जघन्य अपराध का पुरजोर विरोध करने का आह्वान किया।

दिल्ली में साम्प्रदायिक दंगा

सीटू का विरोध और राहत कार्य

फरवरी 2020 में उत्तर–पूर्वी दिल्ली में भाजपा–आरएसएस ने योजनाबद्ध सांप्रदायिक हिंसा की, जिससे 53 लोगों की जान चली गई, 500 से अधिक लोगों को गंभीर चोटें आईं, व्यापक विनाश हुआ और घरों और संपत्तियों को लूटा गया और कई लोगों की आजीविका का नुकसान हुआ। अधिकांश दंगा–पीड़ित असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, उनमें से कई प्रवासी मजदूर हैं।

विरोध प्रदर्शन

दिल्ली में सीटू और अन्य संगठनों ने 26 फरवरी को जंतर–मंतर पर संसद के समक्ष धरना प्रदर्शन किया, जिसमें दिल्ली में दंगा रोकने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत पुलिस द्वारा तत्काल और प्रभावी हस्तक्षेप की माँग की गई; दिल्ली में अपराधी भाजपा नेताओं की गिरफ्तारी करने जिनके भड़काऊ बयान दिल्ली में इस दंगे के लिए जिम्मेदार हैं।

सीटू और अन्य संगठनों के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन, पंजाब के कई जिलों में हुए। सीटू की अन्य राज्य कमेटियों ने भी विरोध किया और अब राहत कोष एकत्र करते हुए इसके खिलाफ अभियान चला रहे हैं।

दिल्ली में राहत और पुर्नवास कार्य

सीटू की दिल्ली राज्य कमेटी और अन्य जन संगठन *दिल्ली सॉलिडेरिटी एंड रिलीफ कमेटी* के सक्रिय घटक हैं, जो दंगा प्रभावित क्षेत्र में काम करते रहे हैं, इनमें प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक नेता शामिल हैं, जिनमें जस्टिस वी गोपाल गौड़ा, वजाहत हबीबुल्ला, हर्ष मंदर और बृंदा करात शामिल हैं। सीपीआई (एम) की दिल्ली राज्य सचिव के.एम. तिवारी इसके संयोजक हैं।

29 फरवरी को, सीटू ने राहत कोष में योगदान के लिए मजदूरों का देशव्यापी आह्वान किया और अपनी सभी राज्य कमेटियों, फेडरेशनों और यूनियनों को प्राथमिकता के आधार पर दिल्ली दंगा पीड़ितों के लिए राहत कोष एकत्र करने का आह्वान किया।

सीटू केंद्र ने अपनी राज्य कमेटियों से अब तक प्राप्त संग्रह से इस राहत और पुनर्वास समिति को 3.33 लाख रुपये की पहली किस्त पहले ही जमा कर दी है पश्चिम बंगाल से– 1 लाख रुपये; तेलंगाना – रु० 60,000; तमिलनाडु – 50,000 रुपये; और असम – रु० 4,920 है।

अपनी पहली अपील में, सॉलिडैरिटी एंड रिलीफ कमेटी ने कहा, *"उत्तर–पूर्वी दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा से जानमाल का नुकसान हुआ है, लोगों की आजीविका, घरों और सम्पत्तियों का व्यापक विनाश हुआ है। जिन इलाकों में हिंसा हुई, उनमें बड़ी आबादी असंगठित मजदूरों, मजदूर वर्ग और दोनों समुदायों के निम्न मध्यम वर्ग के परिवारों की है। अलग–अलग तरीकों से हजारों लोग हिंसा का शिकार हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में दुख और संकट व्यापक हैं। संकटग्रस्त जनता के सभी तबकों के वास्ते उनके धार्मिक विष्वासों की परवाह किए बिना राहत, पुनर्वास और कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है।"*

दिल्ली सॉलिडैरिटी एंड रिलीफ कमेटी अथक प्रयास कर रही है। इसे देष के विभिन्न हिस्सों से सामग्री और फंड प्राप्त हुआ। दंगा पीड़ितों को वितरण के लिए अधिकांश सामग्री खरीदी गई और अब तक (20 मार्च) पूरे उत्तरी पूर्वी दिल्ली में दंगा पीड़ितों के बीच 20 ट्रक माल वितरित किए गए, जिसमें खाद्य पदार्थ, बर्तन, रेडीमेड वस्त्र और ड्रेस सामग्री (सभी नए), गैस सिलेंडर और चूल्हे षामिल हैं।

दंगाइयों द्वारा रेहड़ी–पटरी वेंडरों की कई गाड़ियां जला दी गईं और उन्हें नश्ट कर दिया गया। कमेटी ने ऐसे 50 स्ट्रीट वेंडरों को नई हथ–ठेलियाँ खरीदने और सौंपने का फैसला किया।

कमेटी में एक वकीलों की टीम भी है, जिसने पीड़ित परिवारों को पुलिस में शिकायतें दर्ज करने के लिए प्रोत्साहित किया जिसके आधार पर कई एफआईआर दर्ज की गईं हैं।

दंगा पीड़ितों को राहत और पुनर्वास प्रदान करने के लिए दंगा प्रभावित क्षेत्र के लिए एक दीर्घकालिक परियोजना पर भी कमेटी विचार कर रही है।

राहत कार्य में सीटू

"दंगाई किसी धर्म के नहीं होते; प्रभावित तो गरीब और कामकाजी जनता होती है – यह उन दो माताओं की सर्वसम्मत राय थी जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया है – एक हिंदू है और दूसरा मुस्लिम है, एक टेलरिंग की दुकान चलाता है और दूसरा एक घरेलू मजदूर है। बेटे – अमान और नितिन – एक 15 साल और दूसरा 17 साल की उम्र का; एक परिवार के लिए दूध खरीदने निकला और दूसरा अपने भाई के लिए 'चाउमीन' खरीदने गया; – दोनों ने सिर में गोली लगने से दम तोड़ दिया।'' ''कोई उन्हें सांत्वना देने के लिए ऐसा क्या कह सकता है, जो उनकी भरपाई कर सके?'' यह बात 18 मार्च को सीटू महासचिव तपन सेन के साथ गयी टीम की एक सोशल मीडिया पोस्ट में कही गयी।

सीटू महासचिव और सीपीआई (एम) के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य तपन सेन के नेतृत्व में एक दल एकजुटता और राहत समिति के सदस्यों के साथ – सीटू के राष्ट्रीय सचिव ए.आर. सिंधु और इसकी दिल्ली राज्य कमेटी के महासचिव अनुराग सक्सेना; दामोदरन, अमन सैनी और पूर्वा – ने 18 मार्च को उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगा प्रभावित क्षेत्र के बड़े हिस्से सीलमपुर, ओल्ड मुस्तफाबाद, पांचाल विहार और करावल नगर का दौरा किया और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की और 6 व्यक्तियों – अमन, नितिन, मुर्सलीन, हमजा, वीर भान और शरीफ खान – जिन्हें सांप्रदायिक हिंसा में मार दिया गया था, के परिजनों को प्रत्येक को 1 लाख रुपये के चेक सौंपे।

20 मार्च तक, कुल दिल्ली राहत कोष में संग्रह 6.5 करोड़ से अधिक हुए हैं जिसमें केरल में 3 दिनों की राज्यव्यापी मुहिम में 5.34 करोड़ रुपये एकत्र किए गए।

ई.एस.आई.सी. ने टाई–अप अस्पतालों में माध्यमिक इलाज को बन्द किया

सीटू के महासचिव तपन सेन ने दिनांक 11 मार्च 2020 के अपने पत्र के द्वारा ई.एसआईसी. के महानिदेशक से उनके 27 जनवरी 2020 के परिपत्र जिसके माध्यम से वर्तमान में उपलब्ध माध्यमिक देखभाल उपचार को रोक दिया गया है, को रद्द करने की माँग की है।

ई.एसआईसी. योजना के तहत, बीमित व्यक्ति (आईपी) टाई–अप अस्पतालों में माध्यमिक देखभाल उपचार के लिए रेफरल सुविधा का लाभ उठा रहे हैं, जो उपचार ईएसआई अस्पतालों द्वारा ऐसा उपचार प्रदान नहीं किया जा सकता है। तपन सेन ने लिखा हैं कि ''हमें राजस्थान से विशेष रूप से जानकारी मिली हैं कि ईएसआईसी अस्पतालों में ऐसी किसी भी इन–हाउस चिकित्सा सेवाओं के बिना ही आपके मुख्यालय परिपत्र दिनांक 27.01.2020 के अनुसार रोक लगा दी गयी है''।

''ई.एस.आई.सी. अस्पतालों में इन–हाउस चिकित्सा सेवाओं में सुधार के लिए प्रोत्साहन देने की आपकी पवित्र इच्छाओं को समझा जा सकता है यदि मौजूदा अस्पतालों में मौजूदा सुविधाओं में सुधार के किसी भी ठोस उपायों का पालन किया जाता है। लेकिन ''प्रोत्साहनों'' के नाम पर मौजूदा टाई–अप सुविधाओं को तब तक बंद नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि इन प्रोत्साहनों को संबंधित बीमारियों के लिए उपयुक्त सुविधाओं को वास्तविक रुप नहीं दिया जाता है।'' इसके अलावा, सभी बीमारियों को ईएसआईसी अस्पतालों में कवर नहीं किया जा सकता है। बीमित व्यक्ति के लिए अस्पतालों की नजदीकी भी एक कारक है।

तपन सेन ने बताया कि जब तक पूरे देश में सभी ईएसआईसी अस्पताल में पूर्ण सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, तब तक पहले की टाई–अप व्यवस्था जारी रहनी चाहिए; अन्यथा, आईपी अपनी वैध चिकित्सा देखभाल खो देंगे जिसके लिए वे कानूनी रूप से हकदार हैं क्योंकि वे अपनी कड़ी मेहनत से अर्जित वेतन से योगदान दे रहे हैं।

कामकाजी महिलाओं

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020

महिलाओं द्वारा ऐतिहासिक देशव्यापी 'जेल भरो'

विरोध का एक लोकप्रिय नारा, *'जगह है कितनी जेल में तेरी, देख लिया है और देखेंगे',* को सीटू की कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति (ए.आई.सी.सी.डब्ल्यू.डब्ल्यू.) द्वारा कार्रवाई में बदल दिया गया और सीटू के 16वें सम्मेलन के आह्वान पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 (8 मार्च रविवार) के अवसर पर 6 मार्च 2020 को *'जेल भरो'* कार्यक्रम में देरूा भर के क्षेत्रों से हजारों कामकाजी महिलाऐं शामिल हुईं। यह *जेल भरो* महिलाओं के शोषण और भेदभाव के वर्गीय मुद्दे को मुख्यधारा की चर्चा में वापस लाने के लिए; और जुझारु संघर्षों के एक दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की विरासत को वापस लाने के लिए, वर्ग के एक हिस्से के रूप में और नागरिकों के रूप में समान अधिकारों का दावा करने के लिए था। इन माँगों पर ज्ञापन प्रधानमंत्री, श्रम मंत्री और डब्ल्यूसीडी के मंत्री को भेजा गया।

सीटू के 16वें सम्मेलन ने 'सामाजिक उत्पीड़न पर कमीशप दस्तावेज' बताता है कि *''शासक वर्ग न केवल अपने राजनीतिक हित, बल्कि आर्थिक हित को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे देश में हर सामंती अवशेषों जैसे कि जाति और लिंग आधारित भेदभाव आदि का उपयोग करते हैं। हमारे समाज में वर्ग शोषण कई बार सामाजिक उत्पीड़न के रूप में इस कदर मिश्रित होकर प्रकट होता है, उसे अलग करके समझना मुश्किल है।''* लिंग आधारित सामाजिक उत्पीड़न से प्रभावी ढंग से लड़ने के लिए, इस शोषण के वर्गीय आधार पर हमला करना अनिवार्य है। सीटू ने महिलाओं के अवैतनिक श्रम के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को इस संघर्ष के मुख्य मुद्दों में से एक के रूप में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मुद्दे और विभाजनकारी सीएए/एनआरसी/एनपीआर के रूप में लेने का फैसला किया है।

मुद्दे और माँगें

जेल भरो कार्यक्रम के माँग–पत्र में 7 बिंदु हैं – (1) महिलाओं के काम को मान्यता देना; जीडीपी में महिलाओं के अवैतनिक कार्य शामिल हों; (2) सभी क्षेत्रों में महिलाओं को समान काम के लिए न्यूनतम वेतन, समान वेतन सुनिश्चित हो; (3) योजना मजदूरों से संबंधित, 45वें आईएलसी की सिफारिशें लागू हों; (4) सभी कार्य स्थलों में पीओएसएच अधिनियम का सख्त कार्यान्वयन; (5) महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए प्रभावी उपाय करना; न्यायमूर्ति वर्मा समिति की सिफारिशों को लागू करना; (6) सभी विधायी निकायों में महिलाओं के लिए जल्द से जल्द 33% आरक्षण देने का अधिनियम लागू करना; और (7) भेदभावपूर्ण, विभाजनकारी और संवैधानिक विरोधी सीएए और एनपीआर/एनआरसी प्रक्रिया को एक बार में वापस ले लें। सीएए/एनपीआर/एनआरसी के खिलाफ विरोध इस संघर्ष का एक आकर्षण था, जो इसे 'मुस्लिम महिलाओं के विरोध' के आख्यान से बाहर ले गया था।

व्यापक तैयारी अभियान के दौरान इन माँगों पर प्रकाष डाला गया; हजारों पर्चे, जिसमें स्थानीय माँगें भी शामिल थीं, वितरित किए गए। बढ़ती बेरोजगारी की पृष्ठभूमि में महिला मजदूरों ने बड़े पैमाने पर इस समय किए गये आह्वान पर प्रतिक्रिया दी गयी; उपलब्ध नौकरियों में अस्थिरता; उच्च वेतन वाली नौकरियों में भी उच्च लैगिंक अंतर; कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ हिंसा और यौन उत्पीड़न आदि मुद्दे शामिल रहे।

व्यापक जुझारु आंदोलन

उत्तर भारत में भारी बारिश के बावजूद, हजारों कामकाजी महिलाओं ने 20 राज्यों के 300 जिलों में लगभग 350 स्थानों पर अपनी लम्बे समय से लंबित माँगों का अनुसरण करते हुए गिरफ्तारियां दी।

असम, त्रिपुरा, गुजरात, पंजाब, कर्नाटक आदि सहित कई राज्य सरकारों ने कार्यक्रम को रोकने की कोशिश की और दमन का सहारा लिया। त्रिपुरा और असम में महिला मजदूरों ने पुलिस का सामना किया, बैरिकेड्स तोड़ दिए और गिरफ्तारी दी। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, असम, गुजरात आदि कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों ने जोर देकर कहा कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए। यह कई स्थानों पर प्रशासन के लिए एक समस्या बन गया, जहाँ प्रदर्शनकारियों ने ''गिरफ्तार और रिहा होने' के रूप को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, और जोर देकर कहा कि उन्हें हिरासत में ले लिया जाए। पंजाब के संगरूर जिले में, जहाँ सीटू की राष्ट्रीय सचिव उषा रानी ने भी गिरफ्तारी दी, प्रशासन को बसों के द्वारा 27 बार में ले जा कर उन्हें हिरासत में लेने के लिए मजबूर किया गया।

सभी क्षेत्रों की महिला मजदूरों – सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, बैंक और बीमा, कपड़ा और परिधान, कारखाने, वृक्षारोपण, बीड़ी, निर्माण, ईंट–भट्ठा, आँगनवाड़ी, आशा, मध्याह्न भोजन, एसएसए, एनसीएलपी, एनआरएलएम आदि सहित अन्य योजनाएं, घरेलू कामगार, सफाई कर्मचारी, सड़क परिवहन, बिजली, जल आपूर्ति, नगर निकाय, स्व–रोजगार, सड़क विक्रेता, गृह आधारित श्रमिक आदि इस ऐतिहासिक संघर्ष का हिस्सा थे।

राज्यों में जेल भरो

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, जंतर–मंतर पर लगभग सौ महिलाओं और पुरुशों ने *जेल भरो* आंदोलन में भाग लिया, जिसमें सीटू के राष्ट्रीय सचिव और इसके एआईसीसीडब्ल्यूडब्ल्यू संयोजक ए.आर. सिन्धु और कोषाध्यक्ष एमएल मलकोटिया, इसकी वरिष्ठ नेता रंजना निरुला, अंजू और सविता और सीटू के राज्य अध्यक्ष वीरेन्द्र गौड़ और एआईसीसीडब्ल्यूडब्ल्यू की राज्य संयोजक कमला आदि शामिल रहे। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली के दंगा प्रभावित क्षेत्रों में शांति बहाली की भी माँग की। **पंजाब** में, भारी बारिश के बावजूद 22 जिलों में बड़े जुझारु कार्यक्रम आयोजित किए गए और हजारों लोगों ने गिरफ्तारी दी। कई जिलों में पुलिस ने मजदूरों के साथ हाथापाई की। **राजस्थान** में कार्यक्रम 4 जिलों में आयोजित किया गया था। **हरियाणा** में, 22 जिलों में आंगनवाड़ी, आशा, मिड डे मील की लगभग 20.,000 महिला मजदूरों ने गिरफ्तारी दी। सीटू के प्रदेश अध्यक्ष सुरेखा ने मेवात जिले में गिरफ्तारी दी। **हिमाचल प्रदेश** में, ब्लॉक/तहसील स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। राज्य भर में, कार्यक्रम 20 से अधिक स्थानों पर आयोजित किया गया था। **जम्मू और कश्मीर** में, **उत्तराखंड** और **उत्तर प्रदेश** की बैठकें 8 मार्च को हुईं।

महाराष्ट्र में, *जेल भरो* 8 जिलों में आयोजित किया गया था। कुछ जिलों में, कार्यक्रम 8 मार्च को आयोजित किया गया था। शोलापुर में, हजारों महिला मजदूरों, विशेषकर बीड़ी श्रमिकों ने भाग लिया। नागपुर में भी बड़े पैमाने पर *जेल भरो* का आयोजन किया गया था। **गुजरात** में, सरकार ने कार्यक्रम को रोकने के लिए गंभीर दमन का सहारा लिया। 4 जिलों में, एक दिन पहले, आंगनवाड़ी यूनियन के नेताओं को नजरबंद कर दिया गया था। मजदूरों के गुस्से को भांपते हुए, सरकार ने जल्द ही एक बैठक में बीएमएस आंगनवाड़ी वर्कर्स यूनियन को बुलाया और सीटू के *जेल भरो* कार्यक्रम से ठीक पहले पारिश्रमिक में वृद्धि की घोषणा की। तब वित्त मंत्री ने फिर से आंगनवाड़ी मजदूरों को सीटू के नेतृत्व वाले कार्यक्रम में भाग लेने से रोकने की घोषणा की। मजदूरों को अहमदबाद पहुँचने से रोक दिया गया जहाँ आसपास के जिलों की महिला मजदूर पहुँचने वाली थीं। इन दमनों के बावजूद, अहमदाबाद में 2,000 से अधिक महिला मजदूरों इकट्ठी हुईं। उन्हें सभी को गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया गया। उस दिन के लिए जारी विधानसभा सत्र के समाप्त होने के बाद ही उन्हें रिहा किया गया। यह कार्यक्रम 9 जिलों में भी आयोजित किया गया था, हालांकि 4 जिलों में नेताओं की घारों में नजरबन्दी की वजह से लामबन्दी प्रभावित हुई थी। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें सीटू के प्रदेश अध्यक्ष अरुण मेहता और अन्य सीटू के प्रदेश पदाधिकारी कैलाश रोहित और नसीबन शामिल हैं। **मध्य प्रदेश** में, *जेल भरो* 18 जिलों में आयोजित किया गया था। **छत्तीसगढ़** में, राजनांदगांव, भिलाई, बल्लोड़, आंगनवाड़ी वर्कर्स, ठेका मजदूर आदि सहित 5 जिलों में गिरफ्तारी हुई।

केरल में, सभी 14 जिलों में बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, विभिन्न क्षेत्रों की हजारों महिला मजदूरों ने केंद्र सरकार के कार्यालयों की ओर कूंच किया और जनसभाऐं आयोजित की गईं। तिरुवनंतपुरम में, महिला मजदूरों ने राजभवन तक मार्च किया। **कर्नाटक** में 25 जिलों में *जेल भरो* का आयोजन किया गया। **तमिलनाडु** में, सभी क्षेत्रों की महिला मजदूरों

ने सभी 23 जिलों में और 28 स्थानों पर गिरफ्तारी दी। इससे पहले, कामकाजी महिलाओं को जुटाने के लिए एक राज्यव्यापी बड़े पैमाने पर अभियान चलाया गया था। **तेलंगाना** में *जेल भरो* 28 जिलों में 41 स्थानों पर हुआ। **आंध्र प्रदेश** में, सभी 13 जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। विभिन्न क्षेत्रों के हजारों मजदूरों ने गिरफ्तारी दी और ज्ञापन सौंपा।

झारखंड में, यह कार्यक्रम 8 जिलों में आयोजित किया गया था। राज्य में बड़े पैमाने पर खान मजदूरों ने भाग लिया। **बिहार** में यह कार्यक्रम 15 जिलों में आयोजित किया गया था। आंगनबाड़ी, आशा, एमडीएम, बीड़ी आदि से महिला मजदूरों ने भाग लिया। **ओडिशा** में, 4 जिलों में बड़ी तादाद में न्यायिक गिरफ्तारी हुई। **पश्चिम बंगाल** में, एस्प्लेनेड में एक जुझारु कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसे सीटू राज्य के नेताओं के अलावा, सीटू की राष्ट्रीय सचिव मधुमिता बंदोपाध्याय, रत्ना दत्ता और गार्गी चटर्जी ने संबोधित किया। लगभग 2500 महिला कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया और बाद में रिहा कर दिया गया। यह कार्यक्रम अन्य सभी जिलों में भी आयोजित किया गया था। **त्रिपुरा** में, लगभग 3,000 महिला मजदूरों ने अगरतला में एक रैली निकाली और पुलिस से डरे बिना, बैरिकेड्स को तोड़ दिया। पांचाली भट्टाचार्य, जया बर्मन, काजल रानी सरकार और अन्य नेताओं को गिरफ्तार किया गया। उन्हें नजरबंद रखा गया और बाद में रिहा कर दिया गया। **असम** में, *जेल भरो* 22 जिलों में हुआ।

कुछ उपलब्धी हुई

हालाँकि यह संघर्ष सभी कामकाजी महिलाओं की सामान्य माँगों पर था, लेकिन यह इस संघर्ष का सबसे बड़ा दस्ता योजना कर्मियों का था जिसे इस संघर्ष से कुछ राहत मिली। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में, आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हैल्पर्स का पारिश्रमिक बढ़ाया गया है। सीटू की पंजाब यूनियन को चर्चा के लिए बुलाया गया था और पारिश्रमिक में वद्धि को छोड़कर सभी माँगों को 6 मार्च से पहले स्वीकार कर लिया गया था। असम में, मिड डे मील वर्कर्स का पारिश्रमिक 500 रुपये प्रति माह बढ़ाया गया है।

मीडिया का वर्गीय पूर्वाग्रह

यह आश्चर्य की बात नहीं है कि मुख्यधारा के मीडिया ने इस संघर्ष को गायब ही कर दिया है। सोशल मीडिया में भी, इस वर्गीय कार्रवाई और इसके महत्व को 'प्रगतिशील', 'वामपंथी' और 'वैकल्पिक' आख्यानों को बढ़ावा देने का दावा करने वाले लोगों द्वारा भी तरजीह नहीं दी गयी। वर्गीय कार्रवाई और पहचान की राजनीति पर आधारित कारगुजारियों की प्रतिक्रिया के बीच का स्पष्ट अंतर इस बार भी बहुत दिखाई दिया। मजदूर वर्ग के आंदोलन के लिए यह एक आंख खोलने वाला होना चाहिए।

व्यापक एकता की जरूरत

लगभग सभी राज्यों में, सीटू के पुरुश नेताओं ने भी अच्छी संख्या में भाग लिया। इस कार्यक्रम में सीटू कमेटियों की भागीदारी और तैयारियों के साथ–साथ कार्रवाहियों उल्लेखनीय भूमिका थी। आह्वान के के लिए भारी प्रतिक्रिया जनविरोधी आर्थिक नीतियों और आरएसएस के विभाजनकारी एजेंडे के खिलाफ महिला मजदूरों के गुस्से को दिखाती है।

इस ऐतिहासिक संघर्ष की सफलता के लिए महिला मजदूरों को बधाई देते हुए, नवउपनिवेशवाद के तहत अपनी तरह का पहला, सीटू ने आम तौर पर महिलाओं और कामकाजी महिलाओं को विशेष रूप से संघर्ष को तेज करने का आह्वान किया है। मेहनतकश लोगों की एकता को व्यापक बनाना भी आवश्यक है। सीटू को नवउदारवादी और सांप्रदायिक सरकार और वर्तमान संकट की वजह पूँजीवाद व्यवस्था के खिलाफ एक व्यापक आंदोलन खड़ा करने के लिए आने वाले दिनों में इन मुद्दों को उठाने के लिए महिला आन्दोलन और अन्य तबकों एवं जन संगठनों में महिलाओं के साथ घनिष्ठ संबंध रखने की पहल करेगा।

– ए.आर. सिंधु

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर डब्ल्यू.एफ.टी.यू. की घोषणा

8 मार्च 2020

8 मार्च 2020 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की वर्षगांठ पर, डब्ल्यूएफटीयू ने दुनिया भर में, रोजमर्रा के जीवन सेनानियों कामकाजी या बेरोजगार, स्वरोजगार, शहर में या ग्रामीण इलाकों में, युवा मां, छात्र, सेवानिवृत, शरणार्थी या अप्रवासी, हर महिला को गर्म जुझारु बधाई दी। डब्ल्यूएफटीयू वास्तविक समानता के लिए महिलाओं के संघर्ष के पक्ष में है।

डब्ल्यूएफटीयू 1945 में स्थापना से ही संघर्ष और कार्रवाई लड़ने वाली की वर्ष 2020 में अपनी 75 वीं वर्षगांठ के अवसर पर महिलाओं की वास्तविक समानता के लिए, एक ऐसी व्यवस्था के लिए, जो उन्हें उनके लैंगिक एवं वर्गीय के दोहरे दमन से मुक्त करे, एक ऐसी व्यवस्था जो मानव द्वारा मानव के शोषण से मुक्त हो।

इस संघर्ष में, पुरुष एवं महिला सहयोगी हैं और सामाजिक व राजनीतिक कार्रवाई में कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, युद्धों व शरणार्थियों के बिना, लगातार और पूर्णकालिक काम के साथ, सभ्य वेतन और पूर्ण बीमा अधिकारों के साथ, राज्य संरचना सभी के लिए मुफ्त सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक कल्याण प्रदान करनें के साथ अपने परिवारों के लिए के जीवन का दावा करते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस संघर्ष का प्रतीक है, जिसे 1911 में समाजवादी क्लारा जेटकिन के सुझाव के साथ मंजूरी दी गई थी। यह 1857 में न्यूयॉर्क महिला परिधान मजदूरों की हड़ताल के लिए समर्पित है, जो अपने पुरुष सहयोगियों के साथ समान वेतन की माँग, काम के घंटे और मानव की कामकाजी स्थितियों को सुधारने, और उनके नियोक्ताओं एवं उनके राज्य के साथ खड़े होने के लिए था।

आज 163 साल बाद भी इन सभी की माँग है। नौकरी की गहनता बढ़ गई है; काम का लचीला रूप कायदा आदर्श बन गया है; अनेक देशों में महिलाओं को अभी भी उसी समान काम के लिए अपने पुरुष सहयोगियों से कम वेतन दिया जाता है।

आज, 2020 में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इस तरह के विकास के साथ, चिकित्सा देखभाल की कमी के कारण महिलाएं अभी भी प्रसव के दौरान मर जाती हैं; वे अपने लिंग के कारण स्कूल नहीं जाती हैं; तस्करी के षिकार होती हैं और वेश्यावृत्ति में मजबूर हो जाती हैं; समुद्र में डूब रही हैं, अपने बच्चों को अपनी बांहों में लेकर बमों से बचने की कोशिश कर रही हैं।

डब्ल्यू.एफ.टी.यू., मुनाफे को लगातार बढ़ाने के लिए बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सेवा करने वाली सभी नीतियों को खारिज करता है। हर युद्ध, हर बीमा–विरोधी कानून, वेतन एवं हितलाभों में कटौती, सामाजिक स्थिति के सिकुड़ने का असली कारण यही है। और अंत में, यह हर अभिव्यक्ति में महिला की असमानता का वास्तविक कारण है।

डब्ल्यू.एफ.टी.यू. का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का सम्मान करने का सबसे अच्छा तरीका, ग्रह के हर कोने में हर महिला की पूर्ण मुक्ति तक इन नीतियों और उनके अपराधियों के खिलाफ संघर्ष जारी रखना है।

'जब तक हम ऐसा नहीं कर लेंगे नहीं हम रुकेंगे'!

भारत में महिलाओं का काम

जयति घोष

भारत में रोजगार पर चर्चा के साथ कठिनाइयों में से एक, रोजगार और काम को भ्रमित करने की प्रवृत्ति है। लेकिन रोजगार केवल उस काम का हिस्सा है जिसका पारिश्रमिक दिया जाता है, और भारत में काम की एक बड़ी तादाद वास्तव में अवैतनिक है और अक्सर सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त भी नहीं है। एक बार जब हम इसे पहचान लेते हैं कि भारतीय रोजगार के रुझानों के बारे में बहुत कुछ जो गूढ़ होता है तो उसे समझना आसान हो जाता है।

यह विशेष रूप से महिलाओं के काम के बारे में सच है। रोजगार पर हाल ही में बड़े नमूना सर्वेक्षणों में महिलाओं के कार्यबल की भागीदारी दरों में महत्वपूर्ण गिरावट के सबूतों पर बहुत चर्चा हुई है। 15 वर्ष से अधिक की आयु की ग्रामीण महिलाओं की कार्य सहभागिता दर 1999–2000 के 35 प्रतिशत से घटकर 2011–12 में 24 प्रतिशत हो गई जो 2017–18 में 18 प्रतिशत से भी कम हो गई, जबकि शहरी महिलाओं के लिए वास्तव में लगभग 16 प्रतिशत की कम दर में बदलाव नहीं हुआ। इसके लिए कई स्पष्टीकरण पेश किए गए हैं, जिसमें अधिक युवा महिलाओं के बढ़े हुए वास्तविक वेतन के लिए शिक्षा में संलग्न होने, (जो अभी भी गिरावट को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है) जो गरीब घरों की महिलाओं को शारीरिक रूप से कमजोर के कारण अपेक्षाकृत कम वेतन पर काम करने की अनुमति देती है। यह माना जाता है कि विशेष रूप से गरीब परिवारों में महिलाऐं अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में भी अनुमति न देने के कारण बाहर के रोजगार में ''काम'' नहीं करती हैं।

लेकिन ये संख्याऐं मान्यता प्राप्त रोजगार से संबंधित हैं, भले ही यह अनौपचारिक हो या स्व–रोजगार हो। इसी सर्वेक्षण रिपोर्ट में कुछ श्रेणियां भी शामिल हैं जिन्हें ''श्रम शक्ति में नहीं'' के रूप में वर्णित किया गया है। श्रेणियां जो मायने रखती हैं वे हैं कोड 92 (केवल घरेलू कर्तव्यों में भाग लिया) और कोड 93 (घरेलू कर्तव्यों में भाग लिया और सब्जियों, जड़ों, जलाऊ लकड़ी, पशु चारा, आदि के मुफ्त संग्रह में लगे हुए हैं, जल संग्रह, सिलाई, टेलरिंग, घरेलू उपयोग के लिए बुनाई इत्यादि में लगना) दोनों में बड़े पैमाने पर अवैतनिक तरीके से काम करने वाली महिलाऐं शामिल हैं। कोड 97 (''अन्य'' भी हैं, जिनमें भिखारी, वेश्याएं, आदि शामिल हैं) जो एक अजीब विसंगति है क्योंकि इन गतिविधियों में पैसे का लेनदेन शामिल है, लेकिन अभी भी काम के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। यदि हम काम की परिभाषा में इन सभी श्रेणियों को शामिल करते हैं, तो हमें काफी अलग परिणाम मिलते हैं। सबसे पहले, वास्तव में कम काम की भागीदारी दर के बजाय, भारत में पुरुषों की तुलना में अधिक महिलाऐं काम करती हैं! उदाहरण के लिए, 2011–12 में, महिलाओं की कुल भागीदारी दर तुलना में ऊँची 86.2 प्रतिशत थी, जबकि पुरुषों में यह 79.8 प्रतिशत थी। दूसरा, पूर्व के दशक की तुलना में गिरावट को भी पूरी तरह से समझाया जा सकता है कि 15–24 वर्ष की आयु वर्ग की अधिक महिलाऐं शिक्षा में भाग ले रही हों। तीसरा, और सबसे महत्वपूर्णः महिलाओं की रोजगार दर में गिरावट वास्तव में भुगतान से अवैतनिक कार्य में बदलाव को दर्शाती है। यह पारम्परिक एक बहुत अलग तस्वीर है जो भारत में अधिकांश महिलाओं को ''काम नहीं'' के रूप में दिखती है।

ऐसा बदलाव क्यों हुआ? असहमति से पता चलता है कि वृद्धि मुख्य रूप से कोड 93 (घरेलू और संबद्ध कार्य) में थी। उपभोग व्यय के अनुसार सबसे नीचे की 40 प्रतिशत अधिकतर घरेलू गरीब महिलाओं में से थी। ऐसी अवैतनिक महिला मजदूरों की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी (2011–12 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में 40 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 22 प्रतिशत) घरेलू खपत के लिए पानी लाने में प्रमुख रूप से शामिल थे, एक गतिविधि जो पहले की तुलना में अधिक समय लेती है। आधे से अधिक गरीब महिलाओं को ऐसा करना पड़ता है, साथ ही साथ खाना पकाने के लिए जैव–ईंधन इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि वह या तो उनकी पहुँच में नहीं है या वे किसी अन्य ईंधन का खर्च नहीं उठा सकते।

इससे पता चलता है कि बुनियादी सुविधाओं का अभाव एक महत्वपूर्ण कारक था जो अवैतनिक कार्यों में वृद्धि को प्रेरित करता था। 2012 में एक अन्य एनएसएस सर्वेक्षण में पाया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में, घरेलू खपत के पानी की जरूरतों को

पूरा करने के लिए, जल स्रोत तक जाने–आने में 20 मिनट के अलावा पानी के स्रोत पर प्रतीक्षा समय के 15 मिनट लगते है। और शहरी क्षेत्रों में जल स्रोत तक जाने–आने का समय 15 मिनट और हर बार प्रतीक्षा में बिताया गया समय 16 मिनट था। इसी तरह, ईंधन–लकड़ी और जानवरों के लिए चारा इकट्ठा करने के लिए महिलाओं द्वारा बिताया गया महत्वपूर्ण समय था। बीपीएल महिलाओं को मुफ्त पहला रसोई गैस सिलेंडर मुहैया कराने वाली उज्ज्वला योजना महिलाओं को पहला गैस सिलेंडर प्रदान करने में सतही रूप से सफल है। लेकिन यह इस समस्या को दूर करने में विफल रहा है, क्योंकि अधिकांश घरों में पाया गया है कि वे बाद के सिलेंडर खरीदने के लिए संक्षम नहीं हैं, जो अधिक महंगा है!

और क्या अधिक है, लगभग दो–तिहाई इन अवैतनिक महिला मजदूरों ने बताया कि उन्हें ये आवश्यक कार्य करने थे क्योंकि उन्हें करने वाला घर में कोई अन्य नहीं था। फिर भी, अर्थव्यवस्था में उत्पादक रोजगार सृजन की समग्र अपर्याप्तता की ओर इशारा करते हुए, एक महत्वपूर्ण बहुमत ने कहा कि वे भुगतान किए जाने वाले काम को स्वीकार करने के लिए तैयार होंगे।

इन विस्तारित घरेलू कार्यों के अलावा, ''देखभाल अर्थव्यवस्था'' से जुड़ी विभिन्न गतिविधियाँ हैंः युवा, बूढ़े, बीमार और निशक्तजनों की देखभाल; खाना पकाना, सफाई करना और आमतौर पर स्वस्थ वयस्कों की देखभाल करना – ये सभी घरेलू महिलाओं की जिम्मेदारी के रूप में देखे जाते हैं। जब इन्ही सेवाओं को आउटसोर्स किया जाता है और व्यावसायिक रूप से प्रदान किया जाता है, तो प्रदाताओं को भारत में मजदूरों के रूप में देखा जाता है; लेकिन जब वे सभी काम घरों में महिलाओं द्वारा किया जाता है, तो ऐसी महिलाओं को ''श्रम शक्ति में नहीं'' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

महिलाओं द्वारा प्रदान किए गए कार्यों के एक महत्वपूर्ण हिस्से की मान्यता की कमी के कई महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक निहितार्थ हैं। महिलाओं के अवैतनिक काम की निरंतरता महिलाओं और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों, दोनों के अवमूल्यन करने का कार्य करता है। इस प्रकार, जब महिलाएं श्रम बाजारों में प्रवेश करती हैं, तो उनका वेतन पुरुषों की तुलना में कम होता है – न केवल इसलिए कि वे कम वेतन पर काम करने के लिए तैयार हैं, बल्कि इसलिए कि उनका बहुत सारा काम मुफ्त में उपलब्ध है। भारत में दुनिया में कहीं भी मिलने वाले वेतन का सबसे बड़ा लैंगिक अंतराल है, जिसमें महिलाओं का वेतन औसतन पुरुषों के वेतन का केवल दो–तिहाई ही है।

इससे संबंधित है कि महिलाओं के वर्चस्व वाले व्यवसायों में भी कम वेतन का रुख होता है, जो समान काम करने वाले पुरुषों के लिए भी रहता है जैसे कि कम वेतन वाले देखभाल क्षेत्र में होता है। निष्चित रूप से यह निजी नियोक्ताओं के लिए सच है। लेकिन भारत में, यहाँ तक कि सरकार ने भी, आंगनवाड़ी वर्कर्स और सहायकों एवं आषाओं को ''स्वयंसेवकों'' के रूप में नियुक्त करके, जिन्हें केवल आधिकारिक न्यूनतम मजदूरी का एक हिस्सा भुगतान किया जाता है, इन लैंगिक रुप से खंडित श्रम बाजारों का उपयोग सार्वजनिक सेवाओं को सस्ते में प्रदान करने के लिए किया है। इसी तरह, महिलाओं को राज्य सरकारों द्वारा पैरा–शिक्षक और एएनएम (सहायक नर्स और दाई) के रूप में नियोजित किया जाता है और नियमित कर्मचारियों की तुलना में बहुत कम भुगतान किया जाता है।

तीसरा, यह सभी अवैतनिक कार्य मान्यताप्राप्त अर्थव्यवस्था और ''औपचारिक क्षेत्र'' को एक बहुत बड़ी सब्सिडी प्रदान करते हैं, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इन असंगठित और अनारक्षित मजदूरों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं पर निर्भर करते हैं। क्योंकि यह योगदान मान्यता प्राप्त नहीं है, यह अर्थव्यवस्था में बढ़ती सकल श्रम उत्पादकता की आत्म–संतुष्ट धारणाओं को सक्षम बनाता है, जो कि काफी गलत हो सकता है। और इसका मतलब है कि सार्वजनिक नीति ऐसे अवैतनिक श्रम को कम करने और पुनर्वितरित करने की आवश्यकता को अनदेखा कर सकती है, और गलत धारणा में बनी रह सकती है कि जीडीपी वृद्धि बस सभी के लिए पर्याप्त ''अच्छे रोजगार'' उत्पन्न करेगी।

(जयति घोष एक प्रसिद्ध विकास अर्थशास्त्री हैं। जेएनयू, नई दिल्ली में सेंटर फॉर इकोनॉमिक स्टडीज एंड प्लानिंग के अध्यक्ष और उनके अध्ययन के मुख्य क्षेत्रों में विकासशील देशों में रोजगार के पैटर्न, लिंग और विकास से जुड़े मुद्दे आदि शामिल हैं)

त्रिपक्षीय मंचों

ई.पी.एफ.ओ.

केन्द्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक

केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की बैठक 5 मार्च 2020 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। सीटू का प्रतिनिधित्व इसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ए.के. पद्मनाभन ने किया था। सीटू ने पेंशनरों के मुद्दों सहित चर्चा के लिए एजेंडा में कई मुद्दों को शामिल करने के लिए अग्रिम रुप से लिखा; कर्मचारी का जन्म तिथी एवं नाम, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में, आधार कार्ड से मेल नहीं; जबकि, इनमें से कोई भी एजेंडा में शामिल नहीं था।

बैठक में श्रमिक प्रतिनिधियों ने 6 महीने के बाद सीबीटी बैठक में देरी को लेकर आपत्ति जताई। मंत्री ने इसके बाद इसे प्रत्येक तिमाही आयोजित करने का आश्वासन दिया।

श्रमिकों के प्रतिनिधियों ने मजदूरों को प्रभावित करने वाले कई मुद्दों को उठाया, जिसमें पेंशन पर सर्वोच्च न्यायालय के मामले, पेंशनभोगियों को चिकित्सा सुविधा आदि और एजेंडा में सुझाए गए मुद्दों को शामिल नहीं करना षामिल था। उन्होंने बताया कि सीबीटी सदस्यों को भी ईपीएफओ/सरकार से जवाब या पावती नहीं मिल रही है।

पेंशनभोगियों के मुद्दे: न्यूनतम पेंशन में वृद्धि पर, मंत्री ने सीबीटी सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल को लेकर वित्त मंत्री से मुलाकात का का आश्वासन दिया। उच्च योगदान के लिए बढ़ी हुई पेंशन पर, सरकार ने कहा कि वे न्यायाधीन थे और सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णयों को लागू किया जाएगा।

पेंशनभोगी जिन्होंने अपनी पेंशन कम्यूट की: इस बैठक से पहले, कम्यूटेषन में संषोधन पर लंबे समय से लंबित अधिसूचना, जिसे सीटू पिछले 5 वर्षों के दौरान उठा रहा है, यह कहते हुए जारी किया गया था कि कम्यूटेशन पाने वालों की पेंशन में कटौती को रोका जाएगा और 15 साल के बाद पूरी पेंशन का भुगतान किया जाएगा। पेंशनभोगियों से कटौती की गई अतिरिक्त/अतिरिक्त राशि की वापसी पर कोई स्पष्टता नहीं थी।

इस बैठक में सरकार ने आश्वासन दिया कि 15 साल की वसूली के बाद पूरी पेंशन बहाल कर दी जाएगी। 15 साल की कटौती के बाद की गयी अतिरिक्त कटौती/अतिरिक्त राशि, पेंशनरों को वापस कर दी जाएगी।

ब्याज दर में कमी पर: सरकार ने पिछले वित्त वर्ष के 8.65% के मुकाबले, इस वित्त वर्ष 2019–20 के लिए ईपीएफ ब्याज दर घटा कर 8.5% कर दिया, मजदूरों के प्रतिनिधियों ने मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा बचत के निवेश पर ब्याज दर में कटौती की सरकार की नीति पर अपना विरोध और आक्रोश व्यक्त किया।

ई.डी.एल.आई. पर: पहले न्यूनतम 2.5 लाख और अधिकतम 6 लाख का निर्णय केवल 2 साल के लिए लिया गया था, उसे अब जारी रखने का फैसला किया गया है। मंत्री ने न्यूनतम 3 लाख तक बढ़ाने की माँग पर गौर करने का आश्वासन दिया। उस मुद्दे पर कोई खास जवाब नहीं दिया गया, जिसे सीटू ने उठाया कि पहले लॉयल्टी भुगतान तय किया गया था लेकिन सरकार द्वारा खारिज कर दिया गया था।

ईपीएस 95 में बदलाव का प्रस्ताव: सरकार ने ईपीएस 95 को 'कंट्रीब्यूशन डिफाइन्ड पेंशन स्कीम' के रूप में बदलाव लाने का प्रस्ताव किया है, जिसमें सभी नए आने वालों के अलग–अलग पेंशन अकाउंट होंगे। यह प्रभावी रूप से ईपीएस को एनपीएस में परिवर्तित करता है। यह प्रस्तावित किया गया कि न्यूनतम पेंशन और संपूर्ण पेंशन लाभ सरकार द्वारा तय किया जाएगा और सेवानिवृत्ति के समय पेंशन ग्राहक के खाते में उपलब्ध पेंशन फंड के आधार पर होगी।

सीटू और अन्य श्रमिकों के प्रतिनिधियों द्वारा इसका कड़ा विरोध किया गया। फिलहाल के लिए, सरकार इस पर पुर्नविचार के लिए सहमत हुई।

ऑनलाइन आवेदन में कठिनाइयाँ: ऑनलाइन आवेदन दाखिल करने में मजदूरों को हो रही कठिनाइयों पर और ईपीएफओ से जबाव प्राप्त करने में हो रहीं गंभीर समस्याओं को बैठक में उठाया गया। ईपीएफओ ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में आम सेवा केंद्रों में भी आवेदन जमा करने की सुविधा होगी।

जीवन प्रमाण पत्र देने में कठिनाई: जीवन प्रमाण पत्र देने में आने वाली कठिनाई को भी उठाया गया। इस पर, ईपीएफओ बैंकों के साथ एक साल की वैधता के साथ वर्ष के किसी भी समय जीवन प्रमाण पत्र जारी करने पर चर्चा कर रहा है ताकि नवंबर माह में बैंकों में होने वाली भीड़ से बचा जा सके।

ईपीएफओ में रिक्तियां: ईपीएफओ में बड़ी संख्या में रिक्तियों के साथ, जो अब लगभग 9,000 के आसपास होना, नियोक्ताओं और ग्राहकों दोनों के लिए समस्याएं हैं। यह बताया गया कि कुछ भर्ती अभी हाल ही में की गई हैं।

औद्योगिक संबंध: ईपीएफओ में इस मुद्दे को आम तौर पर उठाया गया था और मंत्री ने यूनियनों के साथ चर्चा करने का आश्वासन दिया था।

– ए.के. पद्मनाभन

सीटू ईपीएफ ब्याज में कटौती की घोषणा की निन्दा करता है।

6 मार्च 2020 को एक बयान में, सीटू ने 5 मार्च को आयोजित ईपीएफओ की सीबीटी की बैठक के माध्यम से वित्त वर्ष 2019–20 के लिए ईपीएफ ब्याज दर 8.5% करने, जो वित्त वर्ष 2018–19 में 8.65% थी, जबकि सीबीटी बैठक में श्रमिकों के सभी प्रतिनिधियों के सख्त विरोध के बावजूद भी मोदी सरकार के कटौती करने के फैसले की निंदा की है।

ईपीएफ में वृद्धिशील जमाओं का 65% से अधिक सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया गया है। सामाजिक सुरक्षा बचत सहित छोटी बचत पर ब्याज दर को लगातार कम करने की नीति के कारण ईपीएफओ के संग्रह के निवेश पर आय/वापसी कम हुई।

सीटू ने केंद्र की भाजपा सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों की निंदा की। ट्रेड यूनियनें लम्बे समय से, वाणिज्यिक ऋण/जमा पर ब्याज दर से अधिक ब्याज मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा बचत पर माँग कर रहे हैं। लेकिन नवउदारवादी शासन के तहत लगातार सरकारें मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा बचत और सभी छोटे बचतों पर ब्याज दरों को कम करती रही हैं, जिससे करोड़ों मजदूरों और सेवानृितों की आमदनी को भारी नुकसान होता है, जिस पर वे अपने बुढ़ापे में जीवित रहते हैं।

इसके साथ ही, एक ही सरकार कॉरपोरेट कर दरों में भारी कमी करती है और शेयर बाजार में सट्टा निवेश पर रिटर्न पर कर की दरों में भी बहुत उदार है। सरकार की ऐसी नीति उन करोड़ों मेहनतकशों के प्रति पूरी तरह से भेदभावपूर्ण है जो वास्तव में जीडीपी बनाते हैं और राष्ट्रीय खजाने में राजस्व जोड़ते हैं। यह करोड़ों मेहनतकशों की कीमत पर निजी कॉरपोरेट और सटोरियों को फायदा पहुंचाने के सिवा कुछ नहीं है।

सीटू ने मजदूरों और जनता को एकजुट करने और नवउदारवादी नीति शासन के खिलाफ लड़ने का आह्वान किया जो घरेलू और विदेशी दोनों निजी कॉरपोरेट और सट्टेबाजों को लाभ पहुंचाने के लिए लोगों को लूट रहा है।

उद्योग एवं क्षेत्र

दूरसंचार

बीएसएनएल

मजदूरों – अधिकारियों का संयुक्त संघर्ष

बीएसएनएल के पुनरुद्धार के लिए और कर्मचारियों के मुद्दों पर

उनके संयुक्त मंच के नेतष्त्व में, सभी यूनियनों और एसोसिएषन ऑफ बीएसएनएल (एयूएबी), सभी गैर–कार्यपालक और कार्यपालक कर्मचारियों ने 24 फरवरी 2020, को केंद्रीय मंत्रिमंडल के बीएसएनएल के पुनरुद्धार पैकेज को शीघ्र लागू करने और कर्मचारियों की तत्काल और गंभीर षिकायतों पर कार्यवाही की माँग को लेकर, सभी जगहों पर अपनी विशाल भागीदारी के साथ देशव्यापी भूख हड़ताल की।

23 अक्टूबर 2019 को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीएसएनएल और एमटीएनएल दोनों के लिए रु .9,000 करोड़ के पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी जिसमें शामिल है, (1) 4 जी स्पेक्ट्रम का आवंटन (2) दीर्घकालिक बांड जारी करने के माध्यम से 15,000 करोड़ रुपये (रु० 8,500 करोड़ बीएसएनएल के लिए और रु० 6,500 एमटीएनएल के लिए) का धन जुटाने की संप्रभु गारंटी। (3) परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण और (4) वीआरएस का कार्यान्वयन। इनमें से, केवल वीआरएस को लागू करके 78,569 कर्मचारियों को हटाया गया है, जो कुल कर्मचारियों की संख्या का लगभग आधा है।

लगभग 4 महीने के अंतराल के बाद भी, 4 जी स्पेक्ट्रम आवंटित नहीं किया गया है। सरकार ने अभी तक बीएसएनएल को संप्रभु गारंटी जारी नहीं की है, जिससे वह दीर्घकालिक बांड जारी करने के माध्यम से 8,500 करोड़ रुपये जुटा सका है। बीएसएनएल परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण की प्रक्रिया भी घोंघे की चाल से आगे बढ़ रही है। एजीआर (समायोजित सकल राजस्व) की गणना पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से दूरसंचार क्षेत्र में पैदा हुई अनिश्चितता से बीएसएनएल का कहर बढ़ गया है और बैंक बीएसएनएल को ऋण देने के लिए तैयार नहीं हैं।

4 जी स्पेक्ट्रम के आवंटन में देरी और फंड की अनुपलब्धता के कारण, दिसंबर के अंत से पहले भी बीएसएनएल की 4 जी सेवा षुरू होने की संभावना नहीं है। यह देरी बीएसएनएल को दिए गए केंद्रीय कैबिनेट से मंजूर पुनरुद्धार पैकेज के खिलाफ है।

इस स्थिति में, बीएसएनएल अपने राजस्व की कमाई में सुधार करने में सक्षम नहीं है; कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है और पिछले 10 महीनों से ठेका कर्मियों के वेतन का भुगतान नहीं किया गया है; जीपीएफ, बैंक ऋण ईएमआई, सोसायटी का देय, एलआईसी प्रीमियम आदि के आधार पर कर्मचारियों के वेतन से की गई कटौती बीएसएनएल प्रबंधन द्वारा जमा नहीं की गई है। नतीजतन, कर्मचारियों को जीपीएफ और सोसायटी ऋण नहीं मिल पा रहे हैं।

बीएसएनएल नए ग्राहक जोड़ने में निजी कंपनियों को परास्त किया

उपरोक्त समस्याओं के बावजूद, सार्वजनिक क्षेत्र के बीएसएनएल में लोगों का विश्वास बना हुआ है। सितंबर 2016 में दूरसंचार बाजार में प्रवेश करने के बाद से, रिलायंस जियो हर महीने अधिकतम ग्राहकों को जोड़ रहा है। हालांकि, दिसंबर 2019 में, बीएसएनएल ने नए ग्राहकों के संबंध में 4.27 लाख से अधिक जोड़कर रिलायंस जियो को परास्त किया है; जबकि रिलायंस जियो 82,000 जोड़ सका है; दिसंबर 2019 में वोडाफोन को 35 लाख और एयरटेल को 11,000 का नुकसान हुआ।

दिसंबर 2019 में, सभी निजी कंपनियों ने टैरिफ 40% बढ़ा दिया, जबकि बीएसएनएल ने अपना टैरिफ नहीं बढ़ाया है।

कोयला

खनिज कानून (संशोधन) विधेयक
संसद में विरोध किया

12 मार्च 2020 को, राज्य सभा में *खनिज कानून (संशोधन) विधेयक, 2020* पर बहस में भाग लेना, *खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957* में संषोधन और *कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015* और पिछली 10 जनवरी को जारी किये गये अध्यादेश के प्रतिस्थापित करने पर; केरल से सीपीआई(एम) सांसद के. सोमाप्रसाद ने बिल का कड़ा विरोध किया और कहा कि शुरुआत से ही उनकी पार्टी ने देश के खनिज संसाधनों, विशेष रूप से कोयला ब्लॉक, को व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए निजी हाथों में सौंपने की पूरी कवायद का विरोध किया।

उन्होंने कहा कि वर्तमान विधेयक को अलगाव के साथ नहीं देखा जा सकता है और ''वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए निजी क्षेत्र द्वारा कोयला खनन में 100% एफडीआई की अनुमति देने के सरकार के फैसले के साथ–साथ देखा और समझा जा सकता है''।

सबसे पहले, कोयले के खनन के राष्ट्रीयकरण को, निजी क्षेत्र को कोयला और अन्य खनिजों के वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए खनन की अनुमति देकर उलट दिया गया था, जो पहले सार्वजनिक क्षेत्र की कोल इंडिया लिमिटेड के साथ निहित था, क्योंकि कोयला बिजली, इस्पात, उर्वरक और अन्य महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए एक मूल औद्योगिक कच्चा माल होने के कारण, अपने घरेलू उपभोग और औद्योगिक खपत के बीच संतुलन बनाए रखना है।

तत्पश्चात, इसे निजी क्षेत्र के सीमित उद्देश्यों के लिए; और बाद में 2015 में व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए भी खुला छोड़ दिया गया।

उन्होंने कहा कि अब कोयले के वाणिज्यिक खनन में 100% एफडीआई की अनुमति के बाद, कोयले के निर्यात के लिए भी दरवाजे खोले जाएंगे, क्योंकि हमारे देश में खनन अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार सबसे सस्ता है। वर्तमान विधेयक, घरेलू अर्थव्यवस्था में घरेलू खपत और औद्योगिक खपत दोनों में इसकी आवश्यकता से पूरी तरह से असंबद्ध होकर घरेलू बाजार में की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले को एक गर्म व्यापार वस्तु बनाने की विनाशकारी प्रक्रिया की अंतिमता के लिए एक अंतरिम कदम है।

उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि हमारे देश में बिजली उत्पादन अभी भी मुख्य रूप से कोयले पर निर्भर है और कोयला आधारित थर्मल पावर देश की कुल बिजली उत्पादन का लगभग 70% है। वर्तमान विधेयक का उद्देश्य 100% नियंत्रण के साथ कोयला खनन में विदेशी खिलाड़ियों को आकर्षित करना है जो राष्ट्रीय हित में विनाशकारी होगा।

माकपा के राज्यसभा सांसद और सीटू के राश्ट्रीय सचिव ई. करीम ने विधेयक पर सदन के विभाजन की माँग की। दुर्भाग्य से, बिल के विरोध में केवल 12 वोट पड़े जो ज्यादातर वाम दलों से संबंधित थे और बिल पारित किया गया।

कोयला और अन्य खनन के विदेशी अधिग्रहण के लिए सरकार का दुःसाहस

उसी दिन, 12 मार्च को, विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित किया गया था। यह 6 मार्च को लोकसभा द्वारा पहले ही पारित कर दिया गया था। मोदी सरकार ने उसी दिन एक प्रेस वक्तव्य जारी किया जो भारतीय कोयला और अन्य खदानों के विदेशी अधिग्रहण के लिए सरकार के दुःसाहस को इंगित करता है।

बयान में कहा गया है कि यह विधेयक ''ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए विषेश रूप से भारतीय कोयला और खनन क्षेत्र में एक नया युग खोलेगा।''

''संशोधित प्रावधान स्पष्ट रूप से यह अधिकार प्रदान करते हैं कि जिन कंपनियों के पास भारत में कोयला खनन और या अन्य खनिजों के खनन का कोई पूर्व का कोई अनुभव नहीं है या अन्य देशों में अनुभव नहीं है वे भी कोयला/लिग्नाइट ब्लॉक की नीलामी में भाग ले सकते हैं।''

सरकार के बयान में आगे कहा गया है, ''संशोधनों के साथ, पर्यावरण और वन मंजूरी के साथ–साथ अन्य अनुमूदनों और स्वचालित मंजूरी के तहत नए पट्टे के अनुमोदन की तारीख से दो साल की अवधि के लिए खनिज ब्लॉकों को नए मालिकान को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। यह नए मालिकों को परेशानी मुक्त खनन कार्यों को जारी रखने की अनुमति देगा।''

कोयला खदानों में विरोध

पश्चिम बंगाल में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) के सोदेपुर क्षेत्र में डोमोहनी कोलियरी में बिल के खिलाफ कोल मजदूरों विरोध प्रदर्शन

कोयला ठेका मजदूरों का आंदोलन

सीटू की प्रमुख कोयला यूनियनों में से एक बीसीकेयू, कोयला ठेका मजदूरों और भू–विस्थापितों ने संयुक्त रूप से भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) के मुख्यालय 'कोयला भवन' के सामने धनबाद में अनिष्चितकालीन प्रवास–धरना और प्रदर्शन किया, जो तीसरे दिन 27 फरवरी को प्रबंधन और बीसीकेयू के बीच फलदायक चर्चा और समझदारी होने के बाद समाप्त हो गया।

आंदोलन का तीसरा दिन भारतीय क्रांतिकारी चंद्र शेखर आजाद को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ शुरू हुआ, यह उनका जन्म दिन था और प्रतिज्ञा लेना था। आंदोलनकारियों को संबोधित करने वाले वक्ताओं ने उनकी उचित मांगों का कोई समाधान नहीं होने की स्थिति में बीसीसीएल के संचालन को पंगु बनाने सहित आंदोलन को तेज करने की प्रबंधन को चेतावनी दी। उसी दोपहर सीएमडी ने बीसीकेयू नेताओं को चर्चा के लिए आमंत्रित किया। चर्चा में प्रबंधन की अगुवाई सीएमडी और बीसीकेयू के नेतृत्व में अपने दिग्गज नेता और अध्यक्ष एसके बख्शी के साथ अपने संयुक्त सचिव मानस कुमार मुखर्जी और सुरेश प्रसाद गुप्ता, बिंदा पासवान, धीरेन मुखर्जी, राजेंद्र पासवान, शिब कुमार सिंह, चक्रधर महतो रामबृक्षधारी सहित और अन्य नेताओं ने की।

प्रबंधन द्वारा ठेका मजदूरों और भू–विस्थापितों की कई माँगों को स्वीकार कर लिया गया। इनमें ठेका मजदूरों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करना शामिल है; ठेका मजदूरों के लिए उच्च शक्ति समिति लागू की जाएगी; देय बोनस का भुगतान किया जाएगा; ठेका मजदूरों को उनके पीएफ कटौती के बारे में सभी अपडेट प्रदान करेंगे और जहाँ फण्ड काटे गए लेकिन जमा नहीं किए गए तो कार्रवाई की जाएगी। चूंकि सभी ठेका कर्मचारियों के लिए पेंशन की माँग पूरे सीआईएल की नीति से संबंधित है, इसलिए इसे उसी स्तर पर लिया जाएगा।

बीसीसीएल परिचालन क्षेत्रों के पास ग्राम विकास के लिए प्रबंधन सहमत है; इस तरह के विकास के किसी भी प्रस्ताव पर कार्यान्वयन के लिए प्रबंधन द्वारा विचार किया जाएगा।

बीसीकेयू ने संतोष व्यक्त किया कि पहली बार सीएमडी ने ठेका कर्मियों के मुद्दों पर चर्चा की।

विधिक

औद्योगिक संबंध विधेयक

श्रम पर स्थायी समिति के साथ बैठक

औद्योगिक संबंध कोड विधेयक, 2019 पर केंद्रीय ट्रेड यूनियनों (सीटीयू) की राय जानने के लिए, श्रम पर संसदीय स्थायी समिति ने 27 फरवरी 2020 को सीटीयू द्वारा लिखित और मौखिक प्रस्तुतिकरण आमंत्रित किया था। विधेयक को 28 नवंबर 2019 को लोकसभा में पेश किया गया था और इसे स्थायी समिति के पास भेजा गया था। सीटू के राष्ट्रीय सचिव व सांसद ई. करीम इस स्थायी समिति के सदस्य हैं।

सभी सीटीयू के संयुक्त ज्ञापन के अलावा, सीटू ने अलग से अपनी टिप्पणी/संशोधन भी प्रस्तुत किया था। स्थायी समिति के साथ मीटिंग में सीटू का प्रतिनिधित्व इसकें राष्ट्रीय सचिव आर. करुमलायम ने किया।

मौखिक रूप से प्रस्तुत करने के दौरान, सीटू ने फिर से आईआर कोड बिल पर अपना लिखित अपडेट संशोधन प्रस्तुत किया। विधेयक पर अपनी प्रस्तुतियाँ में, सीटू ने 'परिभाषा' के खंड में कई क्षेत्रों को इंगित किया; 'ट्रेड यूनियन्स' के गठन और उसके पंजीकरण के बारे में, जिसमें रजिस्ट्रार को बेलगाम शक्ति प्रदान की गयी हैं, जो आवेदन पत्र को अनिश्चित काल के लिए अपने पास दबाकर रखता है और सारहीन आधार पर पंजीकरण को रद्द करने की शक्ति भी है; 'हड़ताल के अधिकार' पर अंकुश लगाने और हड़ताल तोड़ने को वैध बनाना भी है। सभी महत्वपूर्ण मजदूर विरोधी प्रावधानों/योजनाओं को कानूनी जामा पहनाया गया।

सीटू ने 'के रूप में निर्धारित किया जा सकता है' के परिलक्षण की ओर स्थायी समिति का ध्यान आकर्षित किया, जिसके द्वारा राजनीतिक अधिकारी बिल के माध्यम से अपनी 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के नमा पर संसद की शक्ति को नाजायज तरीके कब्जाकर नरक बनाने पर तुले हैं।

आई.आर. कोड बिल में चिंता के कुछ प्रमुख क्षेत्र

जबकि आईआर कोड बिल की सामग्री ज्यादातर तीन मौजूदा श्रम कानूनों से कट–एंड–पेस्ट एक्सरसाइज है, जो कि कोड के पारित होने के साथ निरस्त हो रहे हैं, ट्रेड यूनियन्स एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट (स्टैंडिंग ऑर्डर्स) एक्ट 1946 और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947; इसमें कई मजदूर–विरोधी/ट्रेड यूनियन–विरोधी प्रावधान भी शामिल हैं, जिनमें से कुछ नीचे सूचीबद्ध हैं। इन सभी को सीटू द्वारा अपनी लिखित और मौखिक प्रस्तुति में श्रम पर संसदीय स्थायी समिति के समक्ष और श्रम से संबंधित अन्य मंचों पर उठाया गया था।

1. कोड में, **'उद्योग'** की परिभाषा में अतिरिक्त प्रावधान को जोड़ा गया है जिसे *'केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य गतिविधि'* के रूप में पढ़ा जा सकता है; इस प्रकार सरकार को 'उद्योग' की परिभाषा से किसी भी गतिविधि को बाहर करने का अधिकार है।

2. कोड **'मजदूर'** की परिभाषा से *'अपरेंटिस'* को बाहर करता है।

3. मौजूदा आईडी अधिनियम में केवल एक परिभाशा है – **'मजदूर';** जबकि प्रस्तावित आईआर कोड में दो परिभाषाएँ हैं – **'कर्मचारी'** और **'मजदूर'** की सामान्य श्रेणियां – *'कुशल'*, *'अकुशल'*, *'मैनुअल'*, *'ऑपरेशनल'*, *'तकनीकी'* और *'लिपिक'* कार्य;

लेकिन, **'कर्मचारी'** की परिभाषा में *'अर्ध–कुषल'*, *'सुपरवाइजरी'* (बिना वेतन सीमा), *'प्रबंधकीय'*, *'प्रषासनिक'* कार्य षामिल हैं; और *'अन्य कोई श्रेणी जो उचित सरकार द्वारा घोशित की जा सकती है'*; तथा

औद्योगिक विवाद के उद्देष्य के लिए **'मजदूर'** की परिभाषा में *'सुपरवाइजरी'* (रु० 15,000 वेतन की सीमा के साथ), ~~*'अखबार के कर्मचारी'*~~ और *'कामकाजी पत्रकार'* और *'बिक्री संवर्धन कर्मचारी'* षामिल हैं।

4. **'क्लोजर'** के लिए सरकार की पूर्वानुमति लेने के लिए, श्रमिकों की न्यूनतम सीमा 100 के लिए कोड में दो अतिरिक्त प्रावधान हैं – (1) *''या उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले श्रमिकों की संख्या,'' और (2) ''जहाँ इस संहिता के लागू होने से ठीक पहले ऐसे राज्य में कानून लागू होने के तुरंत बाद सौ से अधिक श्रमिकों की एक सीमा लागू होती है, फिर, ऐसी सीमा लागू रहेगी।''*

5. **'हड़ताल'** की परिभाशा में अतिरिक्त रूप से शामिल है *''किसी उद्योग में कार्यरत पचास प्रतिषत या उससे अधिक श्रमिकों द्वारा दी गई आकस्मिक छुट्टी।''*

6. हड़ताल और तालाबंदी के निशेध के तहत,

आईडी अधिनियम में वर्तमान प्रावधान है – *''सार्वजनिक उपयोगिता सेवा में नियुक्त कोई भी व्यक्ति अनुबंध के उल्लंघन में हड़ताल पर नहीं जाएगा''* – (रेखांकित ~~को जोर देने के लिए~~ जोड़ा गया) *''इस तरह के नोटिस देने के चौदह दिनों के भीतर;''* आदि।

आईआर कोड इसे इस प्रकार बदलता है, *''एक औद्योगिक प्रतिश्ठान में कार्यरत कोई भी व्यक्ति अनुबंध के उल्लंघन में हड़ताल पर नहीं जाएगा''* (रेखांकित ~~को जोर देने के लिए~~ जोड़ा गया) *''इस तरह के नोटिस देने के चौदह दिनों के भीतर;''* आदि।

इसका अर्थ है कि 'सार्वजनिक उपयोगिता सेवा' के लिए लागू 14 दिनों की अग्रिम सूचना का प्रावधान, कोड में 'सभी औद्योगिक प्रतिश्ठानों' के लिए सार्वभौमिक बना दिया गया है।

इस 14 दिनों के अनिवार्य अग्रिम नोटिस का परिणामी प्रभाव, वस्तुतः हड़ताल पर प्रतिबंध लगाने रुप में पड़ेगा क्योंकि विवाद को सुलहवार्ता में स्वीकार किया जाएगा जो आगे चलकर सुलहवार्ता आदि के दौरान किसी भी हड़ताल को रोक देगा।

(द्वारा: आर. करुमलायन)

23 मार्च की सीएए–एनपीआर–एनआरसी विरोधी रैलियां स्थगित

सीटू के 16वें सम्मेलन ने यह संकल्प किया था कि एनपीआर के सवालों का *'हम जबाव नहीं देंगे'* का एक अभियान घर–घर चलाकर मजदूरों के बीच उनके आवासीय इलाकों में और कार्यस्थलों पर चलाकर, 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के षहीदी दिवस पर बड़े पैमाने पर रैलियों को आयोजित करके समापन किया जाएगा।

जबकि कोरोना वायरस महामारी के फैलाव के खतरे के चलते, देषव्यापी लॉकडाउन और लोगों की लामबन्दी पर प्रतिबंधों को षीर्श प्राथमिकता देते हुए और इसकी रोकथाम में जनता द्वारा पूर्ण ध्यान की आवष्यकता के मद्देनजर, 14–15 मार्च की सीटू सचिव मंडल की बैठक ने सीएए–एनपीआर–एनआरसी विरोधी रैलियों को स्थगित करने और 23 मार्च की सार्वजनिक बैठकों को बाद की किसी तारीख में करने का मौजूदा स्थिति में निर्णय लिया; छोटी स्थानीय बैठकों में 23 मार्च को षहीदी दिवस मनाने और तब तक घर–घर अभियान चलाते रहने का फैसला किया है।

राज्यों से

तेलंगाना

कार्रवाहियों की रिपोर्ट

ट्रम्प के दौरे के खिलाफ विरोध और गिरफ्तारियां

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की भारत यात्रा के विरोध में, देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के तहत, 24 फरवरी को 22 जिलों में सीटू, एआईकेएस, एआईएडब्ल्यूयू और एआईडीडब्ल्यूए के 1,220 कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से धरना दिया गया और कार्यकर्ताओं ने ट्रम्प का पुतला जलाया था। 19 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया।

केंद्रीय बजट का विरोध

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों (सीटीयू) की राज्य इकाइयों ने 1 फरवरी को संयुक्त प्रेस बैठक की; 25 फरवरी को सीटू, एटक और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के फेडरेशन ने संयुक्त रूप से सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर धरना दिया; सप्ताह भर के अभियान के बाद सीटू विरोध प्रदर्शनों को 16 जिलों में 40 स्थानों पर आयोजन किया गया; और सीटीयू के संयुक्त राष्ट्रीय आह्वान पर, 2 मार्च को 20 जिलों में कलेक्ट्रेट के सामने धरने दिये गये, जिसमें लगभग 3,000 कार्यकर्ता शामिल हुए।

एंटी–सीएए अभियान

30 जनवरी को, गांधीजी की हत्या के दिन, 26 जिलों में 164 स्थानों पर सार्वजनिक सभा और मानव श्रृंखला कार्यक्रम आयोजित किए गए; एनपीआर नहीं पर हैंडबिल वितरित किए।

दिल्ली दंगा पीड़ितों के लिए फंड

हाल ही में आयोजित सीटू की राज्य जनरल कौंसिल की मीटिंग में, दिल्ली दंगा पीड़ितों को राहत देने के लिए धन संग्रह के लिए आह्वान किया गया है। 1 मार्च को, जनरल कौंसिल की मीटिंग में मौके पर ही रु० 38,000 से अधिक एकत्र किया गया था।

सीटू ने माँग की

टिकटों के रद्दीकरण शुल्कों की पूर्ण वापसी

सीटू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक, 14–15 मार्च, 2020 को नई दिल्ली में आयोजित हुई, जिसमें केंद्र सरकार से माँग की गयी कि कोरोनो वायरस महामारी के चलते केंद्र व राज्य सरकारों के संस्थानों, गतिविधियों और घटनाओं को बंद करने; और यात्रा एवं लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाने के कारण पूर्व नियोजित बैठकों को बड़े पैमाने पर रद्द किया गया है इसलिए रद्द हुए हवाई एवं रेलवे टिकट के पूरे रद्दीकरण शुल्कों को वापस किया जाय।

माँग संसद में उठाई

''उच्च सदन में मुद्दा उठाते हुए, एलाराम करीम (सीपीआई–एम) ने कहा कि कई राज्यों ने कोरोनो वायरस के प्रसार को रोकने के लिए शैक्षणिक संस्थानों और अन्य स्थानों को बंद कर दिया है। इसके अलावा, सार्वजनिक समारोहों को रद्द कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी यात्रा की योजना को बदल दिया है और अपनी हवाई एवं रेल टिकट रद्द करने के लिए मजबूर हुए हैं।

सीपीआई–एम के सदस्य ने सरकार से हस्तक्षेप करके एयरलाइंस और भारतीय रेलवे से टिकट रद्दीकरण शुल्कों वापस करने के लिए आदेश देने का आग्रह किया। कई अन्य सदस्य भी करीम के साथ सहमत थे, अध्यक्ष एम. वेंकैया नायडू ने कहा कि यह सुझाव विचार करने लायक है।'' *(इंडिया टुडे; 16.03.2020)*

''राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू ने सोमवार को सरकार से कहा कि वह सीपीआई (एम) के सांसद ईलमाराम करीम द्वारा कोरोवायरस वायरस के प्रकोप के मद्देनजर टिकट रद्दीकरण शुक्लों के वापसी के बारे में रेलवे और एयरलाइंस को निर्देश दे।

श्री नायडू ने सदन के नेता से कहा, यह सुझाव गौर करने लायक है। "स्कूलों और अन्य कार्यक्रमों के अचानक बंद होने के कारण, लोग अपने कार्यक्रमों को रद्द करने के लिए मजबूर हैं। इसलिए, एयरलाइंस और रेलवे इस स्थिति पर ध्यान दें और यह देखें कि कोई रद्दीकरण शुल्क नहीं लिया गया है। यह सदस्यों का एक सुझाव है। कृपया संबंधित मंत्री से इसकी जांच करवाएं।'' *(द हिंदू; 17.03.2020)*

''बढ़ती माँग के बीच रेलवे को रद्दीकरण शुल्कों को समाप्त करना चाहिए क्योंकि अधिक से अधिक यात्री अपने टिकट रद्द कर रहे हैं, रेल मंत्रालय के अधिकारियों ने वित्त मंत्रालय के साथ इस मुद्दे को उठाया है।'' *(टाइम्स ऑफ इंडिया; 17.03.2020)*

कृपया 'सीटू मजदूर' अप्रैल 2020 की इस ई–कॉपी को अपनी यूनियनों एवं इकाइयों और कार्यकर्ताओं को अधिकतम संख्या में परिसंचरण और प्रसार के लिए आगे प्रेषित करें

निजी बैंक की धोखाधड़ी, जनता के पैसे की लूटपाट जारी

यस बैंक जब से गहरे संकट में था, तब भी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की जानकारी के तहत जनता के पैसे की लूट जारी थी। जब बैंकिंग क्षेत्र अर्थव्यवस्था के धीमे होने के साथ सबसे कठिन और लंबे संकट से गुजर रहा है; आरबीआई, उच्चतम नियामक के रूप में, जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा में लगातार विफल रहा है। लगभग एक महीने पहले, पंजाब एवं महाराष्ट्र सहकारी बैंक के हेरफेर में आरबीआई के हस्तक्षेप और यस बैंक के विवाद ने अब आरबीआई की भूमिका को और उजागर कर दिया।

कई गलत कामों की ओर इषारा किए जाने के बावजूद भी यस बैंक अपने रूल बुक को परिभाषित करते हुए, ताजा कर्जों को जारी करता रहा। ऋण पुस्तिका में 2017 में 1.32 लाख करोड़ रुपये से वृद्धि होकर 2019 में 2.41 लाख करोड़ रुपये से पता चलता है कि आरबीआई ने बैंक को और अधिक गिरावट से रोकने की कोशिश नहीं की। बैंक ने दबावग्रस्त कंपनियों को कर्जे जारी किये, जिनमें से अधिकांश दिवालिया हो गए हैं, जैसे अनिल अंबानी समूह, आईएलएंडएफएस, डीएचएफएल, कॉक्स एंड किंग्स, एस्सेल, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, जेट एयरवेज, सीसीडी, वोडाफोन। आरबीआई की निष्क्रियता को समझना मुश्किल है; यह आरबीआई की जटिलता और यस बैंक के संकट में इसकी जिम्मेदारी को दर्शाता है। पूर्व में, आरबीआई ने सार्वजनिक क्षेत्र के ग्यारह बैंकों को त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई के तहत रखा था, लेकिन यस बैंक के साथ ऐसा नहीं किया।

प्रवर्तन निदेशालय ने अब यस बैंक के संस्थापक और पूर्व एमडी, राणा कपूर को उनकी जटिलता और आपराधिक लापरवाही के लिए गिरफ्तार किया है। लेकिन, इस पतन के लिए राणा कपूर से परे भी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए और सभी संबंधित व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाही की जानी चाहिए।

बैंक को एक महीने के लिए प्रतिबंधों के अधीन रखते हुए, आरबीआई ने पुनर्निर्माण योजना का एक मसौदा जारी किया, जिसमें एसबीआई मरने वाले बैंक की 49% हिस्सेदारी खरीदने के लिए निवेष करेगा। एसबीआई के नेतृत्व में बैंकों का संकाय निजी क्षेत्र के बैंक को ढहने से बचाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों द्वारा निवेश करेगा।

दूसरा तथ्य यह है कि यस बैंक ने उन राज्यों में भी संकट की एक श्रृंखला बनाई है जिनमें से कई ने बहुत बड़ा सार्वजनिक धन जमा किया गया था – केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान, छोटे निवेशकों की जमापूँजी, किसानों को देय नकद मुआवजा आदि। पश्चिम बंगाल सरकार अकेले ने रु० 1307 करोड़ स्वयं सहायता समूहों से एकत्रित किए और गरीब किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में इस बैंक के चेक जारी किए, जो साफतौर पर वापस लौट गए और गरीब किसानों को असहाय छोड़ दिया गया। इसके अलावा, आरबीआई ने सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजा कि वे अपने जमा को यस बैंक से किसी भी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में स्थानांतरित न करें ताकि निजी क्षेत्र के बैंकों को किसी भी वित्तीय पीड़ा का सामना न करना पड़े। *(इंडियन एक्सप्रेस; 12 मार्च 2020)*

– अमिताव गुहा

चेन्नई मेट्रो रेल का अनुचित श्रम आचरणों

सीटू के अपने 16वें सम्मेलन से हुए आह्वान पर, इसकी राज्य कमेटियों, यूनियनों और फेडरेशनों ने सार्वजनिक क्षेत्र के चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड (सीएमआरएल) के प्रबंधन द्वारा बड़े पैमाने पर अनुचित श्रम आचरणों में हस्तक्षेप करने के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को लिखा था।

सीएमआरएल प्रबंधन ने, इसके कर्मचारियों द्वारा सिर्फ यूनियन बनाने को लेकर, यूनियन के सभी 7 पदाधिकारियों को बर्खास्त कर दिया; लंबित अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत 9 मजदूरों को निलंबित किया; 54 मजदूरों को आरोप पत्र दिए हैं और उनमें से 9 को 6 साल के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने के साथ दंडित किया गया और भी 124 मजदूरों को आरोपित किया गया; 60 से अधिक मजदूरों को क्वार्टर खाली करने के लिए नोटिस दिया गया; और सीएमआरएल मजदूर आम तौर पर अपने 35% भत्ते; 20 दिन के आधे वेतन और 15 दिन के पितृत्व अवकाश से वंचित थे।

vk|kfxd Jfedk d fy, miHkkDrk eY; lpdk vk/kkj o"k 2001=100

u- 112@6@2006&,ulhihvkb

jkT;	dsn	tuojh 2020	Qjojh 2020
vk/k izns'k	xq.Vwj	302	299
	fot;okMk	306	304
	fo'kk[kkiÑ"ue	314	312
vle	MeMek frulqf[k;k	301	298
	xqokgkVh	293	292
	ycd flYpj	282	279
	efj;kuh tkjgkV	277	274
	jqxkikjk rsti qj	264	261
fcgkj	esQ?kj&tekyiqj	366	358
p.Mhx<+	p.Mhx<+	325	323
NÑkhlx<+	fHkykbZ	342	337
fnYyh	fnYyh	314	311
Xkkok	xkok	345	340
Xqtjkr	vgenkckn	295	292
	Hkkouxj	307	311
	jktdksV	3't2	310
	lwjr	285	279
	oMksnjk	290	289
gfj;k.kk	Qjhnkckn	292	289
	;equkuxj	315	314
fgekpy	fgekpy çns'k	282	280
tEew ,oa d'ehj	Jhuxj	301	299
>kj[k.M	ckdkjks	318	313
	fxfjMhg	366	359
	te'kniqj	381	378
	>fj;k	377	375
	dksMek	404	402
	jkph gfV;k	413	408
dukVd	cqyxke	322	320
	cqxyqM+	308	306
	gcyh /kkjokM+	353	348
	ejdjk	320	319
	esyqj	327	326
dsjy	,.kkdqye@vyoZ	336	334
	esl.MkD;ke	334	332
	fDoykWu	376	374
e/; çns'k	Hkksiky	342	341
	fNUnokM+k	325	320
	bUnkSj	298	297
	tcyiqj	337	337

jkT;	dsn	tuojh 2020	Qjojh 2020
महाराष्ट्र	मुम्बई	322	319
	ukxiqj	406	405
	ukfld	380	377
	iq.k	362	360
	'kksykiqj	350	349
mMhlk	vkSjaxkckn&rkyqdk	349	346
	jkmjdsyk	335	333
ikfMpfj	ikfMpfj	332	329
iatkc	vejrlj	357	357
	tkyU/kj	337	335
	ywf/k;kuk	316	312
jktLFkku	vtesj	299	2ee
	HkhyokM+k	308	303
	t;iqj	326	324
rfeyukMq	pSUuS	292	289
	dksy;EcVwj	303	301
	dqUuwj	350	347
	enqjkbZ	321	319
	lsyye	310	306
	fr#fpjkiYyh	331	325
rsyaxkuk	xksnkojh[kkuh	348	345
	gSnjkckn	275	275
	okjaxy	332	330
f=iqjk	f=iqjk	278	272
mÑkj çns'k	vkxjk	382	377
	xkft;kckn	350	346
	dkuiqj	364	360
	y[kuÅ	362	357
	okjk.klh	358	353
if'pe cxky	vklulksy	354	350
	nkftZfyax	287	284
	nqxkiqj	336	335
	gfYn;k	403	398
	gkoM+k	303	302
	tkyikbZxqM+h	291	289
	dksydkrk	296	296
	jkuhxat	313	312
	flyhxqM+h	299	296
vf[ky Hkkjrh; lpdk		330	328

सीटू का मुखपत्र

सीटू मजदूर

ग्राहक बनें

- **व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए** – वार्षिक ग्राहक शुल्क – रू0 100/–
- **एजेंसी** – कम से कम पाँच प्रतियों; 25% छूट कमीशन के रूप में;
- **भुगतान** – चेक द्वारा – ''सीटू मजदूर'' जो कनारा बैंक, डीडीयू मार्ग शाखा, नई दिल्ली–110002 पर देय

  बैंक मनी ट्रांसफर द्वारा – एसबीए/सीन0 0158101019568; ~~आइएफसीकोड~~ : सीएनआरबी 0000158;
- **संपर्कः** ई मेल/पत्र की सूचना के साथ प्रबंधक, सीटू मजदूर, सीटू केन्द्र, बी टी आर भवन, 13 ए राऊज एवेन्यू, नई दिल्ली–110002; फोनः (011) 23221306 फैक्सः (011) 23221284

कामकाजी महिलाओं का 'जेल भरो'

(रिपोर्ट पृ० 10)

दिल्ली

ओड़िशा

तेलंगाना

झारखंड

कर्नाटक

पश्चिम बंगाल

हरियाणा

महाराष्ट्र

छत्तीसगढ

बिहार

Posted at NDPSO New Delhi- 1 Postal Regd. No. DL(C)-01/1201/18-2020 RNI No. 34666/79: 6th-7th of every month
Licensed to Post without prepayment under License No.U(C)-38/2018-20 (Date of Publication -05/04/2020)

कामकाजी महिलाओं का 'जेल भरो'

(रिपोर्ट पृ० 11)

त्रिपुरा

आन्ध्र प्रदेश

केरल

पंजाब

असम

तमिलनाडु

गुजरात

तपन सेन द्वारा सेंटर ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियन्स के लिए मुद्रित और प्रकाशित तथा प्रोग्रैसिव प्रिंटर्स, ए–21 झिलमिल इण्डस्ट्रियल एरिया, शाहदरा, दिल्ली–95 से मुद्रित तथा बी टी रणदिवे भवन, 13–ए राउज एवेन्यू, नई दिल्ली–110002 से प्रकाशित (फोनः 23221288, 23221306; http://www.citucentre.org, CITU email: citu@bol.net.in, citubtr@gmail.com)
सम्पादक : **के हेमलता**